भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 6/20/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 10 दिसंबर, 2024

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी (ओआई) - 19/2023

विषय: चीन जन. गण. और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में दिनांक 1 मई, 2024 में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए। वर्तमान अंतिम जांच परिणाम प्रारंभिक जांच परिणामों के अनुक्रम में जारी किए जा रहे हैं।

क. प्रक्रिया

1. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

   क. जांच की शुरूआत के बाद और हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना देने और अपने हितों की रक्षा का अवसर देने के बाद और रिकार्ड में सूचना और साक्ष्य के आधार पर, पाटनरोधी अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए दिनांक 1 मई 2024 को प्रारंभिक जांच

परिणाम जारी किए कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है और इस प्रकार संबद्ध वस्तु का पाटन हुआ है, ऐसे पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और घरेलू उद्योग को क्षति ऐसे पाटित आयातों के कारण हुई है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

ख. प्राधिकारी ने निम्नलिखित प्रक्रिया जिसे प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद अपनाया जाना था, के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया।

i. सभी हितबद्ध पक्षकारों से प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर उनके संबंध में टिप्पणियां मांगी गई थीं।

ii. यह अधिसूचित किया गया कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार एक मौखिक सुनवाई की जाएगी।

iii. आवश्यक समझा गया आगे का सत्यापन भी किया जाएगा।

iv. अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा।

ग. प्रारंभिक जांच परिणामों की एक प्रति केंद्र सरकार को अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने पर उनके विचार के लिए भेजी गई थी।

घ. अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने प्रारंभिक जांच परिणामों पर तर्क और टिप्पणियां प्रस्तुत की थीं, जिन पर अंतिम निर्धारण के प्रयोजनार्थ पर्याप्त रूप से विचार किया गया है।

ड. तथापि, कतिपय पक्षकारों ने विहित समय सीमा के भीतर हितबद्ध पक्षकार के रूप में प्राधिकारी के पास पहले पंजीकरण कराए बिना प्रारंभिक जांच परिणामों संबंधी उत्तर / टिप्पणियां प्रस्तुत की है। विशिष्ट समय सीमा के भीतर हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण में विफलता को देखते हुए प्राधिकारी ने निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की अनदेखी की है:

i. एक्यूरो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
ii. क्लासिक केमिकल्स

iii. मल्टीकेम स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
iv. नैसा केमको इंटरनेशनल
v. पद्मा पॉलिमर्स
vi. पवार केमिकल
vii. फीनिक्स ओवरसीज
viii. श्री वैद्यनाथ केमिकल्स
ix. नैसा केमिकल्स

च. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 28 अगस्त 2024 को हुई एक सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और खंडन अनुरोध यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण 9 सितंबर 2024 को एक नई मौखिक सुनवाई हुई थी।

छ. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिश के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों का एक प्रकटन विवरण 22 नवंबर, 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने संगत समझी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। कोई अनुरोध जो केवल पूर्व अनुरोध का दोहराव था और जिसकी प्राधिकारी ने पर्याप्त जांच की थी, को संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

ज. जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की वर्तमान जांच से उनके संगत होने और साक्ष्य द्वारा समर्थित होने की सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई है।

झ. यह बिल्कुल स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक जांच परिणाम, अंतिम जांच परिणाम का एक अभिन्न अंग है। इन अंतिम जांच परिणाम को पहले जारी प्रारंभिक जांच परिणाम के साथ पढ़ना चाहिए। अपनाई गई प्रक्रिया, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्क, प्रारंभिक जांच परिणाम में स्पष्ट या गहराई से जांचे गए हैं और प्रारंभिक जांच परिणाम में पहले के ऐसे निर्धारण जिन पर हितबद्ध पक्षकारों ने प्रश्न नहीं उठाया था, को अंतिम जांच परिणाम में दोहराया नहीं जा रहा है। अंतिम जांच परिणाम

को उस सीमा तक प्रारंभिक जांच परिणाम को शामिल किया गया माना जाना चाहिए, जहां तक वह वर्तमान अंतिम जांच परिणाम से असंगत नहीं है।

ञ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना जो अंतिम जांच परिणाम का आधार है, की सत्यता से स्वयं को संभव सीमा तक संतुष्ट किया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों / दस्तावेजों का संगत आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया है।

ट. प्राधिकारी आवश्यक समझी गई सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त सूचना मांगी थी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले के विश्लेषण में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

ठ. घरेलू उद्योग के कारखाने और कार्यालय दोनों परिसरों का मौके पर सत्यापन किया गया था जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न दावों का सत्यापन और संगत समझी गई सीमा तक समर्थक सूचना एकत्रित की गई थी।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

2. जांच शुरूआत के समय विचाराधीन उत्पाद को "ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड" के रूप में परिभाषित किया गया था जिसे टीसीसीए भी कहा गया था।

"3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड" है जिसे टीसीसीए भी कहा जाता है। टीसीसीए एक रासायनिक यौगिक है जिसे संक्रमणरोधी, ब्लिचिंग एजेंट और जल उपचार रासायन के रूप में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है जिसमें क्लोरीन की तेज गंध आती है। टीसीसीए एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है और इसे व्यापक रूप से स्विमिंग पुल तथा औद्योगिक जल उपचार और स्वच्छता के लिए प्रयोग किया जाता है।

टीसीसीए मुख्यत: स्विमिंग पुल और डाई स्टप के लिए संक्रमणरोधी, एल्गी नाशी और बैक्टीरिया नाशी है। इसे वस्त्र उद्योग में ब्लिचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे पूल और स्पा के लिए सिविल सफाई, पशु पालन और मछली पालन में रोगों के निवारण और

इलाज, फल और सब्जी संरक्षण, अपशिष्ट जल उपचार, उद्योग में पुन: चक्रित जल के लिए एल्गी नाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है और वुलेन्स के लिए सिकुड़नरोधी उपचार और वातानुकूलन, बीजों के उपचार के लिए और जैविक रसायन सिंथेसिस में प्रयोग किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद टैरिफ कोड 2933 6910 और 2933 6990 के अंतर्गत अध्याय 29 में वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

3. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. टीसीसीए को टैबलेट रूप में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी अलग विशेषताएं प्रयोग और अनुप्रयोग हैं। घरेलू उद्योग इस रूप का उत्पादन नहीं करता है। घरेलू उद्योग के पास टीसीसीए का टैबलेट रूप में उत्पादन या परिवर्तन करने की क्षमता और अवसंरचना नहीं है। टीसीसीए पाउडर, दानेदार या टैबलेट रूप में निम्नलिखित कारणों से एक अलग उत्पाद है:

   क. अणुओं का आकार अलग है और ये अलग-अलग दर से जल में घुलते हैं।
   ख. विनिर्माण प्रक्रिया अलग है।
   ग. अपेक्षित विनिर्माण उपकरण भिन्न हैं।
   घ. अंतिम प्रयोग अलग है। पाउडर का प्रयोग तुरंत घुलने और तुरंत क्लोरिंग निकलने के लिए किया जाता है, दानेदार का प्रयोग क्लोरीन के नियंत्रित निकलने के लिए होता है और टैबलेट का प्रयोग धीमी गति से निकलने के लिए होता है।

ii. याचिकाकर्ता के दावे के विपरीत दानेदार से टैबलेट में बदलने की लागत काफी अधिक है।

iii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित दानेदार रूप पाउडर या टैबलेट के आयातों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है और उसे इससे क्षति नहीं हो सकती है। टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स

प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य मामले में माननीय सेस्टेट ने यह माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं होने वाले उत्पादों को पाटनराधी जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए। टैबलेट पर शुल्क लगाना जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं होता है, प्रयोक्ताओं के लिए हानिकारक होगा।

iv. घरेलू उद्योग 05-08 मेस रेंज के भीतर टीसीसीए दोनों का उत्पादन नहीं करता है जो धीरे घुलते हैं तथा जो इसके प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं। मेस के अलग-अलग आकार से जल में टीसीसीए का असमान बिखराव होगा जिससे प्रयोक्ताओं को स्वास्थ्य में काफी जोखिम होगा।

v. आयातित उत्पाद की गुणवत्ता घरेलू उत्पाद से बेहतर है। आवेदक के पास अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद की उत्पादन के लिए अपेक्षित तकनीक नहीं है जिससे स्वआरोपित बाजार पिछड़ापन हुआ है।

vi आवेदक द्वारा यूएसए को निर्यातित उत्पाद की गुणवत्ता घरेलू रूप से बेचे गए उत्पाद से बेहतर है। जैसाकि क्रेताओं के बयानों से स्पष्ट है।

vii. विचाराधीन उत्पाद के दायरे संबंधी चर्चा के लिए काफी विचार विमर्श अपेक्षित है और महत्वपूर्ण उत्पाद अपवर्जन पीसीएन पद्धति का निर्णय लेते समय निर्णित नहीं किए जा सकते हैं।

ख.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

4. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. पर्याप्त समय देने के बावजूद हितबद्ध पक्षकारों ने अनुमति समय सीमा के 228 दिन बाद उत्पाद के दायरे संबंधी अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।

ii. चूंकि प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार करने के बाद उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है इसलिए अंतिम स्तर पर उत्पाद को बाहर रखने के अनुरोध को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

iii. टीसीसीए के विभिन्न रूपों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि संबद्ध वस्तु को केवल दाने या टैबलेट रूप में आयातित किया गया है और इन दोनों की कीमत में कोई संगत अंतर नहीं है।

iv. अधिकांश आयात दानेदार या पाउडर रूप में हुए हैं, जो स्पष्ट करता है कि टैबलेट रूप की मांग नगण्य हैं।

v. हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न रूपों की तकनीकी विशेषताओं में कोई अंतर नहीं बताया है। उन्होंने केवल विनिर्माण प्रक्रिया, जरूरी उपकरण और भौतिक रूप के संबंध में अंतर बताए हैं जिनका अर्थ यह नहीं है कि उत्पाद समान वस्तुएं नहीं हैं।

vi टीसीसीए के विभिन्न रूपों के प्रयोग में अंतर संबंधी विवरण आयातकों ने दिए हैं और प्रयोक्ताओं ने नहीं । किसी प्रयोक्ता ने दावा नहीं किया है कि टीसीसीए के तीन रूपों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकता है। वास्तव में, चीन के निर्यातकों ने अपनी वेबसाइट पर उत्पाद का विज्ञापन यह दर्शाते हुए किया है कि पाउडर, दानेदार और टैबलेट रूप में समान विशेषताएं और प्रयोग हैं।

vii. नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए बिल्कुल समान वस्तु का उत्पादन अपेक्षित नहीं है। इसके लिए केवल आयातित उत्पाद से बिल्कुल मिलती-जुलती विशेषताओं वाली वस्तु का उत्पादन अपेक्षित है।

viii. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि दानेदार को टैबलेट रूप में बदलने के लिए भारी लागत आती है। प्राधिकारी ने पहले ही यह निष्कर्ष निकाला है कि परिवर्तन के समय कोई कच्ची सामग्री नहीं डाली जाती और लागत केवल बिजली और श्रम की होती है। इसके अलावा, टैबलेट और दानेदार रूप के बीच कीमत में कोई संगत अंतर नहीं है।

ix. घरेलू उद्योग सभी मेस आकारों के टीसीसीए का उत्पादन कर सकता है। वह मेस आकार 05-08 का उत्पादन कर रहा था और बाद में उसने 08-30 मेस आकार रेंज की शुरूआत की जिसे व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया।

x. उत्पाद के मेस आकार से संबद्ध वस्तु की विलेयता या कार्यशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घरेलू उद्योग ने क्लोरीन मात्रा, नमी की मात्रा, उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद का पीएच मूल्य और जल में घुलनशीलता के संबंध में एक स्वतंत्र प्रयोगशाला से चीन से आयातित वस्तु की तुलना में ब्यौरे दिए हैं।

xi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताए गए ई-मेल से यह नहीं पता चलता है कि घरेलू उद्योग अपेक्षित मेस आकार और गुणवत्ता का उत्पाद देने में अक्षम है। स्वयं ई-मेल यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग विभिन्न मेस आकारों के उत्पाद पेश करता है।

xii. आयातक यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य देने में विफल रहे हैं कि घरेलू उत्पाद की गुणवत्ता खराब है जबकि प्राधिकारी ने उन्हें इसका निदेश दिया था। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने यूएसए को निर्यात किया है, दर्शाता है कि वह खराब गुणवत्ता के उत्पाद की आपूर्ति नहीं कर रहा है।

xiii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा प्रमाणित है, जो एक सबसे सख्त मानक है।

ख.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

5. विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के दायरे को स्पष्ट करने और इस पर टिप्पणी करने का अवसर जांच शुरूआत की सूचना के जरिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था। विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन संबंधी टिप्पणियां केवल क़िंदाओ प्रोफ़ेलिज़ बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, शेडोंग लांटियन डिसिनफेक्शन टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड और हांगकांग सीन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई थीं। तत्पश्चात 9 नवंबर, 2023 को हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोध स्पष्ट करने का अवसर दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति दोनों के बारे में अपने अनुरोध स्पष्ट किए थे। हितबद्ध पक्षकारों ने आगे संगत समर्थक साक्ष्य प्रदान करने का अवसर भी लिया था। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और इस संबंध में कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने निर्णय लिया कि उत्पाद के दायरे में संशोधन या वर्तमान मामले में पीसीएन पद्धति को अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को 3 जनवरी, 2024 को डीजीटीआर की वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया।

6. तथापि, उसके बाद प्रिनिता केम, एक्यूरो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और केशव बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त पक्षकारों ने हितबद्ध पक्षकारों को प्रदत्त समय सीमा के भीतर किसी उत्पाद को बाहर रखने का कोई अनुरोध नहीं किया था। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप देने के बाद और समय सीमा समाप्त होने के काफी बाद आयातकों ने टैबलेट को बाहर रखने के अनुरोध प्रस्तुत किए और मेस आकार में अंतर पर ध्यान दिलाया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातकों द्वारा किए गए अनुरोध देरी से और विचाराधीन उत्पाद के दायरे को अंतिम रूप देने के बाद किए गए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के आलोक में प्राधिकारी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है।

"(8) ऐसे मामले में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार एक तर्कसंगत समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या ***अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है*** *या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, वहां* ***निर्दिष्ट प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं*** *और केंद्र सरकार को ऐसी परिस्थितियों में यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं"।*

7. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पीयूसी या समान वस्तु के मुद्दे को अंतिम रूप देने के लिए विचार-विमर्श, तकनीकी और वाणिज्यिक साक्ष्य पर विचार और विस्तृत अनुरोधों का समकालीन, मौखिक और लिखित आदान-प्रदान अपेक्षित है। अत: महत्वपूर्ण उत्पाद अपवर्जन पर पीसीएन पद्धति का निर्णय लेते समय निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने जांच शुरूआत अधिसूचना में ही उत्पाद के दायरे के संबंध में अनुरोध करने की समय सीमा अधिसूचित की थी। उत्पाद के दायरे के संबंध में अनुरोध करने के लिए अतिरिक्त सूचना की जरूरत पड़ने पर पक्षकारों के लिए समय सीमा का विस्तार का मांग करने का प्रावधान है। पहले भी प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, समय बढ़ाने की अनुमति दी है। तथापि, प्राधिकारी को अतिरिक्त समय का ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। विहित समय सीमा के भीतर अपने अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहने पर हितबद्ध पक्षकार बाद में दलील नहीं दे सकते कि विहित समय सीमा टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समुचित नहीं थी।

8. वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि उत्पाद के विभिन्न प्रकारों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों के तर्क भौतिक रूप, घुलने की दर, विनिर्माण प्रक्रिया, उपकरण और प्रयोग में अंतर पर आधारित हैं। तथापि, यह नोट किया गया है कि 96 प्रतिशत आयात दानेदार रूप में हुए हैं

जबकि केवल 3 प्रतिशत आयात टैबलेट के रूप में हुए हैं। अत: यह नोट किया गया है कि उत्पाद को अधिकांशत: केवल दानेदार रूप में प्रयोग किया जा रहा है जो एक ऐसा रूप भी है जिसका घरेलू उद्योग उत्पादन करता है। विभिन्न रूपों के बीच अंतर के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने घुलने की दर में अंतर दर्शाने वाली कोई परीक्षण रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। इसके अलावा, आयातकों बताए गए अंतरों के होने पर भी उत्पादन प्रक्रिया टीसीसीए के ठोस रूप में उत्पादन और उसके बाद तक समान रहती है और केवल टैबलेट, पाउडर और दानेदार में बदलने की वृद्धिशील प्रक्रिया अलग है। उपकरण में अंतर भी समान स्तर से संबंधित है। अत: विनिर्माण प्रक्रिया में अंतर पर्याप्त नहीं माना जा सकता है और बल्कि वह केवल संबंधित रूप में उत्पाद को बदलने के लिए संगत प्रक्रिया है। अंत में, यद्यपि आयातक ने अनुप्रयोग में अंतर का दावा किया है। तथापि घरेलू उद्योग ने विदेशी उत्पादकों की वेबसाइट के स्क्रीनशॉट के रूप में साक्ष्य दिए हैं, जो दर्शाते हैं कि सभी रूपों का प्रयोग एक समान है।

9. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग विभिन्न मेस आकारों में दानों का उत्पादन नहीं करता है जिस पर घरेलू उद्योग ने प्रश्न उठाया है। घरेलू उद्योग ने स्वतंत्र प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट भी दी है, जो घरेलू उद्योग के दानों की चीन के उत्पादकों के 5-8 मेस से तुलना करता है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की चीन से आयातित 8-22 मेस से तुलना करता है। यह नोट किया गया है कि उत्पादों की सभी मापदंडों में तुलना की गई है जैसे रूप, गंध, सफेदी, सक्रिय दोहरी मात्रा, नमी की मात्रा, पीएच मूल्य और घुलनशीलता। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद विदेशी उत्पादकों द्वारा उनकी वेबसाइट पर विज्ञापित विनिर्देशनों से इन मापदंडों पर तुलनीय है।

10. अंत में उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में आयातकों ने कतिपय प्रयोक्ताओं के बयान बताए हैं जिनमें यह दावा है कि घरेलू उद्योग द्वारा दी गई वस्तुएं खराब गुणवत्ता की हैं। घरेलू उद्योग ने बताया कि उसने उक्त प्रयोक्ता को उत्पाद की आपूर्ति नहीं की है और इसके बजाय अपने स्वयं के प्रयोक्ताओं के बयान प्रस्तुत किए हैं जिन्होंने उसके द्वारा आपूर्ति की गई। टीसीसीए की गुणवत्ता की सराहना की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने न केवल घरेलू बाजार में बल्कि यूएस के बाजार में भी संबद्ध वस्तु की आपूर्ति की है। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु यूएस पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अंतर्गत पंजीकरण है। अत: यह मानने का कोई आधार नहीं कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु अपेक्षित गुणवत्ता की नहीं है। इसके अलावा 2021-22 जब संबद्ध वस्तु के बाजार हिस्से में गिरावट आई थी, के दौरान घरेलू उद्योग काफी अधिक मात्रा में आपूर्ति करने में सक्षम था जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु आयातित सामान से तुलनीय है।

अत: प्राधिकारी को इस तर्क में कोई सच्चाई नहीं दिखती है कि घरेलू उद्योग ने अपेक्षित गुणवत्ता के उत्पाद की आपूर्ति नहीं की है।

11. तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के दायरे को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

"3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड" है जिसे टीसीसीए भी कहा जाता है। टीसीसीए एक रासायनिक यौगिक है जिसे संक्रमणरोधी, ब्लिचिंग एजेंट और जल उपचार रसायन के रूप में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है। टीसीसीए एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है और इसे व्यापक रूप से स्विमिंग पुल तथा औद्योगिक जल उपचार और स्वच्छता के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे पाउडर टैबलेट और दानेदार रूप में उत्पादित किया जा सकता है।

टीसीसीए मुख्यत: स्विमिंग पुल और डाई स्टप के लिए संक्रमणरोधी, एल्गी नाशी और बैक्टीरिया नाशी है। इसे वस्त्र उद्योग में ब्लिचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे पूल और स्पा के लिए सिविल सफाई, पशु पालन और मछली पालन में रोगों के निवारण और इलाज, फल और सब्जी संरक्षण, अपशिष्ट जल उपचार, उद्योग में पुन: चक्रित जल के लिए एल्गी नाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है और वुलेन्स के लिए सिकुड़नरोधी उपचार और वातानुकूलन, बीजों के उपचार के लिए और जैविक रसायन सिंथेसिस में प्रयोग किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद टैरिफ कोड 2933 6910 और 2933 6990 के अंतर्गत अध्याय 29 में वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

12. इसके अलावा, पूर्वोक्त के मद्देनजर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित वस्तु के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आयातित वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसके मद्देनजर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. आवेदक ने 2022 और 2024 के दौरान टीसीसीए का आयात किया है।

ii. नेफ़थलीन के आयात से संबंधित एक जांच में गुजरात उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि बोडल केमिकल्स घरेलू उद्योग माने जाने की स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है क्योंकि उसने गुमराह करने वाली और अधूरी सूचना दी है, क्योंकि उसने आबद्ध खपत को बाहर रखने का प्रयास किया है।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के उत्तर में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किया है:

i. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत घरेलू उद्योग ने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

ii. नेपथलीन मामले में दिया गया निर्णय मामला विशिष्ट था और वर्तमान मामले में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक

कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा"।

16. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है। तत्पश्चात एक आयातक ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु का आयात किया है और उसने नेपथलीन मामले पर भरोसा करते हुए आबद्ध उत्पादन को शामिल नहीं किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों की जांच की है और उन्हें जांच अवधि में आवेदक द्वारा किसी आयात का पता नहीं चला है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने सत्यापित किया है कि आवेदक ने आबद्ध रूप से उत्पाद की खपत नहीं की है।

17. पूर्वोक्त के मद्देनजर और प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ. <u>गोपनीयता</u>

घ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

18. प्रारंभिक निर्धारण के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आवेदक ने अगोपनीय आंकड़ों के अंतर्गत उत्पादन लागत का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया है।

घ.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

19. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किए हैं।

ड.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

20. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया था।

21. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है-:

"गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

22. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और आंकड़ों की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गापेनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं अपेक्षित हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपनी व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है।

23. विशेष रूप से हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का ब्यौरा मांगा है। तथापि क्योंकि यह सूचना व्यापार संवेदनशील प्रकृति की है इसलिए प्राधिकारी ने इस संबंध में गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है।

ङ. <u>विविध</u>

ड.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

24. प्रारंभिक निर्धारण के जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध अनुरोधों का सारांश नीचे दिया गया है:

i. आवेदन में प्रक्रियात्मक और काफी अधिक कमियां हैं जैसे क्षति अवधि में कमी ओर पर्याप्त सूचना देने में विफलता।

ii. वर्तमान मामले में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने की कोई विशेष परिस्थितियां नहीं थीं। प्रारंभिक जांच परिणाम पाटनरोधी नियमावली के नियम 12 और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 7, प्राकृतिक न्याय और औचित्य के सिद्धांतों, कानून की आवश्यक प्रक्रिया का उल्लंघन है और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 12 में उल्लेख है कि प्रारंभिक जांच परिणाम उचित मामलों में जारी करने चाहिए। प्राधिकारी अनंतिम उपायों की आवश्यकता की ठीक ढंग से जांच करने में विफल रहे हैं।

iii. अनंतिम उपायों की सिफारिश केवल तभी करनी चाहिए जब ऐसे उपाय जांच के दौरान हुई क्षति को रोकने के लिए आवश्यक हों, जिसकी जांच प्राधिकारी ने नहीं की थी।

iv. प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों से पहले सुनवाई करने में विफल रहे हैं, जो कानून की आवश्यक प्रक्रिया का उल्लंघन है और अंतिम प्रयोक्ता के हितों के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणाम की वैधता की अनदेखी करता है।

v. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं करता है।

vi प्राधिकारी प्रतिवादी आयातकों की सूची में केएचपीएल के नाम को शामिल करने में विफल रहे हैं। केएचपीएल ने समयबद्ध तरीके से अपने उत्तर प्रस्तुत करके संबद्ध जांच में सक्रिय रूप से भागीदारी की है।

vii. व्यापार सूचना संख्या 11/2018 के अनुसार, प्राधिकारी के पास इसी अनुरोध को विलंबित अनुरोध मानने का विवेकाधिकार है। यदि वह जांच के बृहत्तर हित में हो। एक्यूरो द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करना चाहिए क्योंकि वे संबद्ध वस्तु के

दायरे और जनहित पर शुल्कों के प्रभाव की दृष्टि से निष्कर्षों पर काफी प्रभाव डालते हैं। प्राधिकारी ने पहले देरी से किए गए अनुरोध पर विचार करने की लोचशीलता दिखाई है, जो उचित और सही निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हों।

viii. एक्यूरो ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो जांच में कुल देरी या व्यवधान उत्पन्न करेगा या उसे कोई अनुचित लाभ देगा या किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई नुकसान पहुंचाएगा।

ix. घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत एक्यूरो के वकील ने 30 मई 2024 को प्राधिकारी के समक्ष प्राधिकार प्रस्तुत किया है।

x. आवेदक द्वारा उल्लिखित यूएस - ऑयल कंट्री ट्युबलर गुड्स से संबंधित मामला प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि आयात पाटन मार्जिन से संबंधित सूचना नहीं दे रहा है बल्कि केवल जनहित और विचाराधीन उत्पाद से संबंधित जानकारी दे रहा है।

xi. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों और प्राधिकारी द्वारा दर्ज आयात आंकड़ों में अंतर है। प्राधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए आयात आंकड़ों की और प्रयुक्त पद्धति की उचित जांच करने में विफल रहे हैं।

xii. किसी पर्याप्त सबूत के बिना शुल्क लागू करना चीन और जापान के साथ व्यापार संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और उसका परिणाम बदले के उपाय हो सकता है। वह भारत को डब्ल्यूटीओ करारों का पालन नहीं करने वाला भी मान सकता है और डब्ल्यूटीओ मंचों में भारत को इन विवादों के लिए दोषी मान सकता है। शुल्क लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार संबंध और व्यापार रक्षा प्रणाली की निष्ठा प्रभावित हो सकती है।

xiii. पाटनरोधी शुल्क पारदर्शिता बढ़ाने, प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने और सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए एक उचित और समान व्यापार महौल सुनिश्चित करने के लिए मूल्यानुसार होना चाहिए।

ड.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के उत्तर में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार उत्तर दिया है:

i. हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदन में किसी प्रक्रियात्मक और पर्याप्त गलती की ओर ध्यान नहीं दिलाया है। प्राधिकारी द्वारा जांच प्रदत्त सूचना की सत्यता और पर्याप्तता से संतुष्ट होने के बाद ही शुरू की गई थी।

ii. विशेष परिस्थितियों के प्रारंभिक उपाय लागू करने की पूर्व अपेक्षा होने के बारे में कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। वास्तव में अन्य जांचकर्ता प्राधिकारी इसे प्रक्रिया के रूप में सभी मामलों में अनिवार्य रूप से प्रारंभिक जांच परिणाम दर्ज करते हैं।

iii. प्रारंभिक जांच परिणाम से यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार किया है जिन मामलों में हितबद्ध पक्षकारों ने अगोपनीय अंश को साझा किए बिना गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत किए हैं उनमें उसकी अनदेखी की जानी चाहिए।

iv. ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि किसी मौखिक सुनवाई को प्रारंभिक जांच परिणाम से पहले संचालित करना चाहिए।

v. घरेलू उद्योग को केएचपीएल से कोई अगोपनीय उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे उत्तर को सभी पक्षकारों को परिचालन किए बिना स्वीकार नहीं करना चाहिए।

vi एक्यूरो ऑर्गेनिक्स ने भागीदारी की अंतिम तारीख से 206 दिनों की देरी के बाद कोई कारण बताए बिना भागीदारी की है। डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय के अनुसार कोई जांचकर्ता प्राधिकारी पक्षकार द्वारा किए गए ऐसे अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है जो विहित समय सीमा के बाद किया हो। एक्यूरो ऑर्गेनिक्स ने मौखिक सुनवाई में भागीदारी से पहले प्राधिकारी से अनुमति भी नहीं ली थी।

vii. यद्यपि एक्यूरो ऑर्गेनिक्स का मौखिक सुनवाई में एक वकील ने प्रतिनिधित्व किया था। तथापि, वकील के पक्ष में कोई प्राधिकार नहीं दिया गया था।

viii. आवेदक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर आयात की मात्रा और डीजी सिस्टम के आंकड़ों में अंतर होने पर प्राधिकारी ने विचार किया है और यह अंतर प्रयुक्त सूचना के स्रोत में अंतर के कारण है।

ix. इस जांच को डब्ल्यूटीओ की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए शुरू और संचालित किया गया है और इसलिए उपचार को डब्ल्यूटीओ के अनुपालन में माना जाना चाहिए।

x. मूल्यानुसार शुल्क लगाने से लागू शुल्क निष्प्रभावी हो जाएगा क्योंकि आयात कीमतों में तेजी से गिरावट आई है।

ड.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

26. वर्तमान जांच आवेदकों द्वारा प्रदत्त आंकडों / सूचना के आधार पर शुरू की गई थी। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी केवल इस बात से संतुष्ट होने के बाद की याचिका में जांच शुरूआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। वर्तमान जांच की शुरूआत करने का निर्णय लिया था। इसके अलावा, जांच शुरूआत के बाद आवेदकों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी और आवेदक ने उसे उपलब्ध कराया है।

27. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां नहीं थी जिनसे प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करना आवश्यक हो और उससे पहले कोई मौखिक सुनवाई नहीं हुई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून में विशेष परिस्थितियों की मौजूदगी की आवश्यकता नहीं है और न ही प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के लिए सुनवाई आवश्यक है। नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी उपयुक्त मामलों में प्रारंभिक जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। वर्तमान मामले में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करते समय प्राधिकारी ने पाटन, क्षति की मात्रा और कारणात्मक संबंध की जांच की है। प्रारंभिक जांच परिणाम में इन सभी की विस्तृत जांच की गई है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान भारी क्षति हुई है और ऐसे उच्च स्तर पर क्षति से संयंत्र बंद हो सकता है। यह अनिवार्य है कि घरेलू उत्पादकों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं और पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया से उपचार प्रदान किया जाए। यह नोट किया गया है कि आवेदक ने अपने आवेदन में अंतरिम शुल्क का अनुरोध किया है और इसके कारण बताए हैं। प्रारंभिक जांच परिणाम की विषय वस्तु अपने आप में अंतरिम उपाय लागू करने के लिए पर्याप्त औचित्य बताती है। ये उपाय जांच के दौरान क्षति के निवारण के लिए आवश्यक पाए जाने पर अनंसंशित किए गए थे। तदनुसार, प्राधिकारी ने अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की।

28. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि उनके अनुरोधों की जांच नहीं की गई थी। तथापि, उन्होंने ऐसा कोई अनुरोध नहीं बताया जिसकी प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम

जारी करने से पहले जांच न की हो। वास्तव में प्रासंगिक समझे गए सभी अनुरोध वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के अनिवार्य तथ्य दर्ज करने में जांचे गए हैं।

29. केशव हिचेम प्राइवेट लिमिटेड (केएचपीएल) द्वारा भागीदारी के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और सभी हितबद्ध पक्षकारों को उसका अगोपनीय अंश परिचालित किया है। आयातक द्वारा किए गए अनुरोध पर प्राधिकारी ने विचार किया है।

30. एक्यूरो ऑर्गेनिक्स की भागीदारी के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातक ने अंतिम तिथि से लगभग 7 महीने की समाप्ति के बाद भागीदारी की है। भागीदारी में इतनी देरी के मद्देनजर प्राधिकारी पाते हैं कि आयातक ने समयबद्ध ढंग से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। इसके मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि एक्यूरो ऑर्गेनिक्स ने देरी से अनुरोध के कारण जांच में भागीदारी से दूर रहने का निर्णय लिया। दरअसल, एक्यूरो ऑर्गेनिक्स ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया जिसकी प्राधिकारी की जांच में परीक्षा न की गई हो, क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने पहले यही अनुरोध किए थे।

31. हितबद्ध पक्षकारों ने ध्यान दिलाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उसके आवदेन में प्रदत्त और प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा विचारित आयात मात्राओं में अंतर है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने पास उपलब्ध सूचना दी थी जबकि प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है। तथापि, आयातों में वृद्धि के निष्कर्ष और कीमतों में अपर्याप्त वृद्धि को देखते हुए लागत में वृद्धि और सकारात्मक कीमत कटौती समान रही है।

32. हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है कि मूल्यानुसार शुल्क लगाया जाना चाहिए और यह स्थिर राशि नहीं होना चाहिए। प्राधिकारी को अपने निष्कर्षित पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बाद शुल्क के उपयुक्त रूप का निर्धारण करेंगे। पाटनरोधी उपायों का रूप मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

च.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार तर्क दिया है:

i. चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए ।

ii. आवेदक ने चीन और जापान में टीसीसीए की सामान्य कीमत का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

iii. पाटन मार्जिन को ऐसे अंतरों जैसे निर्यात कीमत में व्यस्त मौसम के दौरान वृद्धि और खराब समय के दौरान कमी को दर्ज करने के लिए तिमाही आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए।

iv. विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित कम कीमत दर्शाती है कि उनके पास उस पर उत्पादन पद्धति है और वे अनुचित प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती।

v. टीसीसीए एक वस्तु उत्पाद है और मांग - आपूर्ति में असंतुलन, वैश्विक बाजार की गति और कोयला तथा प्राकृतिक गैस की कीमत में अस्थिरता के कारण इसकी कीमत बढ़ती-घटती है। जांच अवधि में कीमत में थोड़ी गिरावट बाजार ताकतों का परिणाम है और पाटन का नहीं।

vi प्राधिकारी ने यह गलत निर्धारण किया है कि हाईबेई ने भारत को अपने निर्यात आंकड़ों में बीजक की तारीख गलत बताई है। आरंभिक गलत बीजक सत्यापन के लिए गलती से दिए गए थे। इस टंकण की गलती को प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 3ख में सही किया गया था और सभी दस्तावेजों को सौदों की सत्यता दर्शाने के लिए प्रस्तुत किया गया था।

vii. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम को जारी करने से पहले हाइबेई द्वारा गलत आंकड़े बताने पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के 9क(6) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन है।

viii. परिकलित निर्यात कीमत में आवेदक के यूएस कार्यालयों के संबंधित पक्षकार के सौदों पर विचार नहीं किया गया है।

च.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

34. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध का सारांश निम्नानुसार है:

i. एक्सेसन प्रोटोकोल और प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुसार चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार्य केवल तभी दिया जाता है जब उसका दावा किया गया हो और उसकी उपयुक्तता दर्शाई गई हो।

ii. घरेलू उद्योग ने चीन और जापान में सामान्य मूल्य के संबंध में वही सूचना उपलब्ध कराई जो उसके पास उपलब्ध थी।

iii. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित काफी उच्च पाटन मार्जिन से यह स्पष्ट है कि निर्यातक भारत में प्रतिस्पर्धा को नष्ट करना चाहते हैं।

iv. यदि कम बिक्री कीमत को उत्पादन पद्धति की कुशलता माना जाता है तो किसी जांच में भी पाटन सिद्ध नहीं होगा।

v. घरेलू उद्योग तिमाही आधार पर मार्जिन की गणना का समर्थन करता है और उसने पहले ही आवेदन में मासिक आधार पर आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।

vi हितबद्ध पक्षकारों के दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि वैश्विक बाजार की अस्थिरता, मांग - आपूर्ति के असंतुलन और कोयले तथा प्राकृतिक गैस की कीमतों ने संबद्ध वस्तु की कीमत में उतार-चढाव लाया है। मांग में वृद्धि हुई है जबकि आपूर्ति समान बनी रही है। संबद्ध वस्तु की आपूर्ति में कुछ ऐसे क्षेत्रों में आपूर्ति में कोई बाजार व्यवधान नहीं हुआ है, जहां भारत सहित इसका उत्पादन करने की क्षमता है। प्राकृतिक गैस और कोयले की कीमत में आगे और उतार चढाव संबद्ध वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं करता है।

vii. हाइबेई जिंगफेई द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकार करना सही था, क्योंकि पैरा टर्सियरी ब्यूटाइल फेनोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में ऐसे जांच परिणाम जारी हुए थे जिनमें बीजक की तारीख को निर्यात के लिए बिक्री की तारीख माना गया था।

viii. यदि हाइबेई को यह दावा करने की अनुमति दी जाती है कि पहले दिए गए बीजक त्रुटिपूर्ण थे तो निर्यातक द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सूचना की कोई विश्वसनीयता नहीं है और प्राधिकारी के लिए उसके सत्य होने का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है।

ix. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान यूएस में अपने संबंधित पक्षकार को संबद्ध वस्तु की आपूर्ति नहीं की है।

च.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

35. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

(ख) उपधारा (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:*

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

36. जांच शुरूआत के समय प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानकर कार्रवाई की थी। जांच शुरूआत पर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों को जांच शुरूआत सूचना का उत्तर देने की सलाह दी थी और यह सूचना देने के लिए कहा था कि क्या सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इनके आंकड़ों / सूचना को अपनाया जा सकता है। किसी भी विदेशी उत्पादक ने वर्तमान मामले में बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया है। यह एक्सेसन प्रोटोकोल के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भी उपयुक्त है।

37. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य के संबंध में पर्याप्त सचूना नहीं दी है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने कोई वैकल्पिक सूचना नहीं दी है जिस पर भरोसा किया जा सकता हो। चीन के मामले में प्राधिकारी ने बिक्री कीमत या परिकलित मूल्य या बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी उचित तीसरे देश में निर्यात कीमत संबंधित किसी सूचना के अभाव में भारत में देय कीमत पर भरोसा किया है। जापान के मामले में किसी उत्पादक की भागीदारी के अभाव में प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

38. उत्पादक शेडोंग डैमिंग साइंस एंड टेक्नोलाजी कं, लिमिटेड और शेडोंग लांटियन डिसिनफेक्शन टेक्नोलाजी कं, लिमिटेड ने तिमाही आधार पर मार्जिन के निर्धारण का अनुरोध किया है। प्राधिकारी ने दिनांक 30 सितंबर, 2023 की जांच शुरूआत अधिसूचना के पैरा (25) के अनुसार वर्तमान जांच के लिए संगत सूचना मांगी है। तथापि, निर्धारित समय के भीतर तिमाही विश्लेषण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, 1 मई 2024 को प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां मांगी थीं। फिर भी हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे किसी तिमाहीवार निर्धारण का अनुरोध नहीं किया। यह अनुरोध जांच की शुरूआत के 11 महीने बाद जांच की लगभग समाप्ति के समय किया गया। इस समय अनुरोध पर विचार करने का अर्थ यह होगा कि हितबद्ध पक्षकारों से पुन: सूचना मांगी जाए, उसका सत्यापन किया जाए और उसके बाद यह मूल्यांकन किया जाए कि क्या मार्जिनों को तिमाही

आधार पर परिकलित करना चाहिए। तिमाहीवार आधार पर मार्जिनों के लिए देरी से अनुरोध को देखते हुए प्राधिकारी ने इस स्तर पर अनुरोध पर विचार करना उपयुक्त नहीं पाया है।

39. हेबेई जिंगफेई केमिकल कंपनी लिमिटेड ("हेबेई") द्वारा उत्तर के संबंध में उत्पादक ने दावा किया है कि उसने मूल रूप से गलत बीजक दिया है जिसे अनुभवहीन कर्मचारी द्वारा तैयार किया गया और उसमें बैंकिंग की जानकारी नहीं थी। तत्पश्चात बिक्री मैनेजर ने बीजकों में सुधार और संशोधन किया। उत्पादक ने संशोधित बीजक प्रस्तुत किए जिसमें बीजक की तारीख जांच अवधि के भीतर थी। प्राधिकारी ने उत्पादक, हाइबेई और उसके निर्यातक हाइड्रोटेक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ("हाइड्रोटेक") द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजी साक्ष्य की जांच की। हाइबेई ने जांच अवधि के दौरान दो बीजकों 22एचटी411एच01 और 22एचटी415एच01 की सूचना दी है। आरंभ में प्रदत्त बीजक संख्या 22एचटी411एच01 को 10 मार्च 2022 को जारी किया गया था। हाइबेई ने बाद में वही बीजक प्रदान किया जनकी तारीख 2 अप्रैल 2022 थी। तथापि यह नोट किया गया है कि हाइड्रोटेक ने 31 मार्च 2022 को बिक्री के संबंध में अपना बीजक जारी किया। यह असंभव है कि निर्यातक ने उत्पादक से वस्तु को खरीदने से पहले ही उसका निर्यात कर दिया हो। इसके अलावा, चीन के सीमा शुल्क के समक्ष प्रस्तुत सीमा शुल्क घोषणा में बीजक की तारीख 10 मार्च 2022 दी गई है। अत: यह स्पष्ट है कि उत्पादक, हाइबेई द्वारा दिया जा रहा संशोधित बीजक सही बीजक नहीं है, बल्कि उसे केवल वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ और प्राधिकारी को गुमराह करने के लिए तैयार किया गया है। इसी प्रकार, बीजक 22एचटी415एच01 के लिए प्रस्तुत सीमा शुल्क घोषणा की तारीख 31 मार्च 2022 है जबकि हाइबेई द्वारा प्रदत्त संशोधित बीजक में यथाउल्लिखित तारीख 15 अप्रैल 2022 है।

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि किसी हितबद्ध पक्षकार को यह दावा करने की अनुमति दी जाए कि प्रदत्त बीजक गलत थे तो पक्षकार द्वारा प्रदत्त सूचना को किसी भी तरह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। हाइबेई द्वारा मूल रूप से प्रदत्त बीजक पर उसकी मोहर भी है। यदि उत्पादक को यह दावा करने की अनुमति दी जाए कि मूल बीजक गलत था जिससे सभी दस्तावेजों की सत्यता पर संदेह होता है। उक्त चर्चा के मद्देनजर प्राधिकारी पाते हैं कि हाइबेई द्वारा प्रस्तुत संशोधित बीजक जिसमें उसके सही बीजक होने का दावा किया गया है, किसी भी तरह से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। अत: प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि वर्तमान जांच में हाइबेई को अलग शुल्क नहीं दिया जा सकता है।

41. अंत में हितबद्ध पक्षकार ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु की कीमतें कुशल उत्पादन पद्धतियों, वैविश्क बाजार की अस्थिर, कोयले और प्राकृतिक गैस, मांग - आपूर्ति में असंतुलन और कीमतों द्वारा प्रभावित होती हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, पाटनरोधी नियमावली और विशेष रूप से पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त ढंग से निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। इसका अनुपालन किया गया है और सामान्य मूल्य या निर्यात कीमत के निर्धारण के तरीके में कोई त्रुटि किसी पक्षकार द्वारा नहीं बतायी गई है। यह संभव है कि कीमतें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित कारकों से प्रभावित हुई हो। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन के कारण कानून के अंतर्गत पूरी तरह अप्रासंगिक हैं। केवल पाटन की माजूदगी और मात्रा, पाटनरोधी कार्रवाई के लिए प्रासंगिक हैं और ऐसे पाटन के कारण महत्वपूण नहीं हैं।

42. चूंकि चीन से अन्य सहयोगी उत्पादकों और चीन और जापान से असहयोगी उत्पादकों के लिए प्रारंभिक जांच परिणाम में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के तरीके के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है। इसलिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर उसी आधार पर विचार किया गया है।

43. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सामान्य मूल्य (अम.डॉ./मी.ट.)	निर्यात कीमत (अम.डॉ./मी.ट.)	पाटन मार्जिन (अम.डॉ./मी.ट.)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
चीन					
शेडोंग गोल्डनस्टार वाटर एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	60-70
पुयांग क्लीनवे केमिकल्स लिमिटेड	***	***	***	***	50-60

शेडोंग डैमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
शेडोंग लैंटियन डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी कंपनी	***	***	***	***	70-80
कोई अन्य	***	***	***	***	80-90
जापान					
कोई अन्य	***	***	***	***	10-20

छ. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

44. प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद क्षति, कारणात्मक संबंध और क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आवेदक ने यह सिद्ध नहीं किया है कि पाटित आयातों से वास्तविक क्षति हुई है। आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ii. संबद्ध आयात देश में मांग से तालमेल रखते हैं जबकि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में काफी अधिक और सतत वृद्धि दर्शाई है।

iii. टीसीसीए के लिए मांग में भारी गिरावट कोविड लॉकडाउन के कारण वाणिज्यिक स्थानों और सार्वजनिक पूलों के सीमित उपयोग के कारण हुई है। संबद्ध आयातों में कोविड-19 के दौरान चीन की निर्यात क्षमताओं में व्यवधान के कारण भारी गिरावट आई है जो भारत में मांग के रूझान के समान है। मांग में वृद्धि के साथ आयातों में वृद्धि हुई है।

iv. विचाराधीन उत्पाद की कीमत और पहुंच कीमत में पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि आयातित उत्पाद द्वारा कोई कीमत कटौती नहीं हुई थी। प्रिनिता केम द्वारा की गई खरीद पूछताछ से पता चलता है कि आवेदक की बिक्री कीमत आयात कीमत से अधिक या उसके बराबर है।

v. आयातित और घरेलू उत्पाद के बीच केवल कीमत अंतर पाटन नहीं हो सकता है। आवेदक का कीमत निर्धारण संबद्ध वस्तु की वैविश्क दरों के अनुसार है।

vi प्राधिकारी को लाभप्रदता के प्रभाव के आकलन के लिए पूरी क्षति अवधि में कीमत कटौती निर्धारित करनी चाहिए।

vii. यह तथ्य कि आयातों का पहुंच मूल्य पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम था, कीमत कटौती का आकलन है और कीमत ह्रास / न्यूनीकरण का नहीं।

viii. टीसीसीए की पहुंच कीमत में कच्ची सामग्री की लागत में गिरावट की दर की तरह गिरावट नहीं आई थी।

ix. बिक्री लागत में समग्र वृद्धि के साथ उतार-चढ़ाव हुए थे जबकि बिक्री कीमत और पहुंच कीमत में भारी वृद्धि हुई । याचिकाकर्ता ने बिक्री लागत में केवल मामूली वृद्धि के साथ अपने लाभों में भारी वृद्धि देखी है। इस प्रकार आयातों द्वारा कोई कीमत न्यूनीकरण या ह्रास नहीं हुआ था।

x. याचिकाकर्ता के आर्थिक निष्पादन में सभी मापदंडों में भारी वृद्धि हुई है।

xi. यह तुलना 2020-21 पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह कोविड-19 जैसे विभिन्न कारणों की वजह से प्रभावित असाधारण अवधि थी जिसमें कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई, चीन में बाढ़ आई थी आदि । इस अवधि में घरेलू उद्योग को असामान्य उच्च लाभ हुआ और जब स्थिति स्थिर हो गई तो घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई, परंतु उसमें एक समग्र वृद्धि का रूझान रहा। बिल्कुल सही आकलन के लिए आधार वर्ष 2019-20 होना चाहिए।

xii. याचिकाकर्ता के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में भारी वृद्धि हुई। तथापि निर्यात बिक्री में भारी गिरावट आई है जो घरेलू उद्योग को क्षति का कारण हो सकता है।

xiii. घरेलू उद्योग की बिक्रियों में उसी अवधि के दौरान आयातों से प्रतिस्पर्धा में कमी के कारण भारी वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग अपने बाजार हिस्से में वृद्धि कर पाया

है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में बाजार स्थितियों के स्थिर हो जाने पर महामारी के पश्चात गिरावट आई है।

xiv. आवेदक 2021-22 में केवल चीन से पोत लादान में देरी के कारण वस्तुएं बेचने में सक्षम रहा था।

xv. समग्र बाजार हिस्से के आंकड़ों पर वृद्धि के रूझानों पर विचार किए बिना प्राधिकारी का भरोसा त्रुटिपूर्ण और गुमराह करने वाला है, क्योंकि वह गतिशील बाजार के मौलिक सिद्धांतों की अनदेखी करता है। आवेदक का बाजार हिस्सा आयातों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद बढ़ा है।

xvi. आयातों ने 2021-22 और जांच अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में अपना बाजार हिस्सा गंवाया है।

xvii. मालसूची का स्तर स्थिर बना रहा है जिसके कारण याचिकाकर्ता बिक्री और उत्पादन में भारी वृद्धि के बावजूद स्टॉक का पर्याप्त स्तर बनाए रखने में सक्षम रहा है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 में मालसूची के स्तर में वृद्धि कोविड महामारी के कारण अस्थायी बाजार व्यवधानों के कारण हुई थी।

xviii. जांच अवधि के दौरान प्रति इकाई घाटे में गिरावट आई और निवेश पर आय में भी वृद्धि हुई।

xix. बिक्री लागत जिसमें 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, की तुलना में 44 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उच्चतर बिक्री कीमत के बावजूद वास्तविक लाभ में अनुपातिक वृद्धि नहीं हुई थी।

xx. नकद प्रवाह के आंकड़े पूरी क्षति अवधि में नकारात्मक रहे और 2021-22 में उनमें भारी वृद्धि हुई। केवल निवेश पर आय में गिरावट आई है।

xxi. कच्ची सामग्री की लागत में याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार 70 प्रतिशत की वृद्धि गलत है और उसमें साक्ष्य का अभाव है।

xxii. बिक्री कीमत रणनीतिक कीमत निर्धारण या आंतरिक अकुशलताओं के कारण बिक्री लागत से कम है और संबद्ध आयातों के कारण नहीं।

xxiii. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी के संबंध में ऐसे कोई मापदंड नहीं थे, जो क्षति के लिए जिम्मेदार हों।

xxiv. वृद्धि की जांच जो घरेलू उद्योग की मात्रा और कीमत प्रभाव विश्लेषण के समान है, त्रुटिपूर्ण है।

xxv. पूंजी निवेश जुटाने की याचिकाकर्ता की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

xxvi. आवेदक द्वारा प्रस्तुत पीओआई के बाद के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

xxvii. आर्थिक मापदंडों और कीमत तथा मात्रात्मक प्रभाव के न होने का विश्लेषण दर्शाता है कि कारणात्मक संबंध का पता लगाने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं हैं। प्राधिकारी को कम लाभ और क्षति के अन्य कारकों की जांच करनी चाहिए।

xxviii. क्षति अवधि के दौरान मांग में गिरावट दर्शाती है कि स्वतंत्र बाजार शक्तियों के घरेलू उद्योग की वृद्धि प्रभावित हो रही थी।

xxix. प्राधिकारी को कथित क्षति का उचित आकलन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक के लागत संरचना की जांच और सत्यापन करना चाहिए, क्योंकि त्रुटिपूर्ण लागत सूचना अन्य पक्षकारों की उनके हितों के बचाव की क्षमता को प्रभावित करती है।

xxx. लागत में वृद्धि गैर उत्पादन लागतों जैसे कमीशन, छूट, रिबेट, भाड़ा आदि से संबद्ध है।

xxxi. क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा ट्रायोन केमिकल प्रा० लि० के अधिग्रहण से कतिपय परिसंपत्तियों का पुन: मूल्यांकन हुआ था।

xxxii. आवेदक की मूल्यह्रास लागत, ब्याज और निवल स्थिर परिसंपत्तियों में क्षमता में वृद्धि के बिना भारी वृद्धि होने की प्राधिकारी द्वारा अलग से जांच की जानी चाहिए।

xxxiii. घरेलू उद्योग की अनेक अक्षमताएं हैं जिनमें उत्पादन सुविधा का स्थान, पुरानी तकनीक, भारी मूल्यह्रास और ब्याज तथा कम गुणवत्ता का उत्पाद शामिल है जिससे उत्पादन की लागत अधिक हो गई ।

xxxiv. ट्रायोन केमिकल्स के वित्तीय विवरण दर्शाते हैं कि उसे भारी घाटा हो रहा था और पुरानी मशीनरी के कारण वह उद्योग चलाने में सक्षम नहीं था।

xxxv. घरेलू उद्योग को आंतरिक समस्याओं, वैविश्क रूप से खराब बाजार दशाओं, कच्ची सामग्री की कीमत में अस्थिरता, कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव और संयंत्र के बंद होने के कारण क्षति हुई है जिसने याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचाई है।

xxxvi. कोविड-19 महामारी के कारण स्विमिंग पुलों और जल उपचार सुविधाओं का लगभग पूरी तरह शटडाउन हो गया विचाराधीन उत्पाद के प्राथमिक उपभोक्ता हैं।

xxxvii. 2022-23 की दूसरी तिमाही के वित्तीय विवरण के अनुसार याचिकाकर्ता का टीसीसीए संयंत्र तकनीकी समस्याओं और स्वामित्व अंतरण सहित आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा था।

xxxviii. याचिकाकर्ता ने माना है कि वह अपनी आय में पारंपरिक रूप से उच्च क्षमता उपयोग प्राप्त करने में असमर्थ रहा है।

xxxix. आवेदक के वित्तीय विवरणों के अनुसार 2022-23 में लाभ में गिरावट आर्थिक मंदी के कारण हुई थी।

xl. आवेदक के वित्तीय विवरण दर्शाते हैं कि आयातों से क्षति के दावे के बावजूद कंपनी को लाभ रहा था और वह टीसीसीए के आयातों का उल्लेख लाभ में गिरावट के कारण के रूप में नहीं करता है। टीसीसीए ने कुल आय में 10 प्रतिशत का योगदान दिया।

xli. 2022-23 की तीसरी तिमाही के वित्तीय विवरणों के अनुसार याचिकाकर्ता कंटेनर संबंधी समस्याओं के कारण यूएस को निर्यात करने में असमर्थ था जिस वजह से उसे भारतीय बाजार में बिक्री के लिए बाध्य होना पड़ा।

xlii. आवेदक अपने उत्पाद की खराब गुणवत्ता के कारण यूएसए को निर्यात करने में असमर्थ रहा है।

xliii. याचिकाकर्ता की वरीयता कम गुणवत्ता के उत्पाद की घरेलू मांग की तुलना में विशेष रूप से यूएस के बाजार के लिए प्रीमियम गुणवत्ता के टीसीसीए की निर्यात मांग को

पूरा करने की रही है। वह यूएस के बाजार में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन की अपनी क्षमता को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है।

xliv. चीन से आयातित उत्पाद खराब गुणवत्ता का है, जो अलग बाजार खंड को दर्शाता है।

xlv. नियाजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय और क्षतिरहित कीमत काफी अधिक बताई गई है जिससे घरेलू उद्योग को अनावश्यक लाभ और संरक्षण मिलता है। प्राधिकारी को उद्योग द्वारा अर्जित नियाजित पूंजी पर आय को तब अपनाना चाहिए जब पाटन का कोई आरोप नहीं लगा हो।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

45. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान संबद्ध आयातों में गिरावट कोविड-19 के कारण मांग के अभाव की वजह से ही है। उसके बाद, संबद्ध आयातों में पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से काफी वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के दौरान उच्चतम थी।

ii. आयातों की मात्रा में वृद्धि से घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग सीधे ही प्रभावित हुआ है।

iii. आयातों की मात्रा जांच की अवधि के बाद में भी बढ़ती रही है।

iv. संबद्ध आयातों में वृद्धि से मांग में वृद्धि समाप्त हुई है, विशेषकर जांच की अवधि के दौरान।

v. संबद्ध आयात भारत में लगभग पूरा बाजार हिस्सा बनाते हैं।

vi आयात जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागतों और कीमतों में काफी कटौती कर रहे थे और बाद की अवधि में वही स्थिति जारी रही।

vii. संबद्ध आयातों की कीमतें जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय लागतों से भी कम थी और अंतराल केवल 2023-24 में बढ़ा।

viii. आयातों में घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण किया किया है।

ix. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि घरेलू उद्योग की कीमतें वैश्विक दरों के अनुरूप नहीं हैं और यह पहले ही सिद्ध किया जा चुका है कि निर्यातकों ने पाटन का सहारा लिया है।

x. 2023-24 के दौरान घरेलू उद्योग पहुंच कीमतों में गिरावट के अनुसरण में अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर था।

xi. 2021-22 के दौरान घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि लेने में सक्षम था। तथापि, जांच की अवधि के दौरान आयातों में मांग में वृद्धि ली और अपना बाजार हिस्सा बढ़ाया।

xii. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग लगभग पूरी मांग पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद कम था।

xiii. घरेलू उद्योग ने इस अवधि में अपनी क्षमता का केवल ***% लगाया। यह स्थिति जांच की अवधि के बाद ही कमजोर हुई।

xiv. घरेलू उद्योग के पास, यदि मांग में वृद्धि होती है तो, भविष्य में ***मी.ट.तक अपनी क्षमता बढ़ाने की क्षमता है।

xv. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री उसकी क्षमता की तुलना में नगण्य है।

xvi. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सा केवल 2021-22 तक बढ़ा है और उसके बाद उसमें गिरावट आई है।

xvii. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नगण्य था, जबकि आयात लगभग पूरी मांग के बराबर थे।

xviii. संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग हानियों पर निर्यात करने और अपनी मालसूची का निपटान करने के लिए उत्पादन को प्रतिबंधित करने के लिए मजबूर था।

xix. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची पूरी क्षति की अवधि के दौरान की गई बिक्री के बराबर है और मालसूची धारण अवधि जांच की अवधि और उसके बाद की अवधि के दौरान काफी थी।

xx. जांच की अवधि के प्रत्येक माह में धारित मालसूची माह के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्री से काफी अधिक थी।

xxi. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हानियां, नकद हानियां हुईं और नकारात्मक आय की रिपोर्ट दी जो जांच की अवधि के बाद बढ़ी है।

xxii. यहां तक कि यदि जांच की अवधि की तुलना आधार वर्ष से की जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कुल हानियां 591% तक बढ़ी।

xxiii. घरेलू उद्योग के सामने नकारात्मक ईबीआईडीटीए आई है जो यह दर्शाती है कि उसकी पूंजी जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है।

xxiv. घरेलू उद्योग पाटन के कारण जांच की अवधि के दौरान और उसके बाद अपना संयंत्र बंद करने के लिए मजबूर था, जो कोविड-19 के कारण नहीं हो सकता।

xxv. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत घरेलू उद्योग को किसी मानदंड में कोई सुदृढ़ वृद्धि नहीं हुई है।

xxvi. घरेलू उद्योग ने रोजगार और मजदूरी के स्तर के कारण क्षति का दावा नहीं किया है।

xxvii. क्षति विश्लेषण में क्षति की अवधि के प्रत्येक वर्ष को माना जाना चाहिए और अंतिम बिंदु की तुलना नहीं हो सकती। केवल एक अवधि के आंकड़ों की तुलना 4 वर्षों की सूचना मांगने का प्रयोजन बेकार कर देता है और डब्ल्यूटीओ करार के उल्लंघन में है।

xxviii. क्षति की अवधि में उत्पाद से संबंधित खर्चों में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का विस्तार से सत्यापन नहीं किया जा सकता।

xxix. सीधे बिक्री के खर्चे कुल उत्पादन लागत में नगण्य हैं और इस प्रकार उस पर वास्तविक प्रभाव नहीं है।

xxx. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत कुछ साक्ष्य के आधार पर बढ़ी हुई है जिसे गोपनीय होने का दावा किया गया है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग उस पर टिप्पणी करने से अलग रखा गया है।

xxxi. प्रपत्र IV क में सूचित अचल परिसंपत्तियों में उतार-चढ़ाव घरेलू और निर्यात बिक्री के बीच आबंटन के कारण है। उत्पादन के लिए कुल परिसंपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं है।

xxxii. परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का प्रभाव नियोजित पूंजी से अलग किया गया है।

xxxiii. यदि कोई अवधि अन्य कारकों से प्रभावित है तो ऐसे कारकों का प्रभाव अलग किया जा सकता है। तथापि, उस अवधि की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

xxxiv. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत क्षति संबंधी सूचना उसके घरेलू प्रचालनों से ही संबंधित है और निर्यातों में गिरावट से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

xxxv. घरेलू उद्योग को 2022-23 के दौरान क्षति हुई है जो कोविड-19 से प्रभावित हुई थी। कोविड-19 महामारी का प्रभाव पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए आधार के रूप में पूरी तरह नहीं दर्शाया जा सकता।

xxxvi. संबद्ध सामानों के लिए बाजार पर रूस-यूक्रेन युद्ध का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि दोनों देश संबद्ध देश नहीं हैं, कोई प्रमुख सामग्री की आपूर्ति नहीं की है और घरेलू उद्योग के लिए प्रमुख निर्यात बाजार नहीं है।

xxxvii. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग की ऐसी कोई आंतरिक अदक्षताओं की पहचान करने में विफल रहे हैं जिनसे क्षति हो सकती हो।

xxxviii. संबद्ध सामानों की प्रकृति पर विचार करते हुए संयंत्र के स्थान का कोई संबंध नहीं है और घरेलू उद्योग ने अहमदाबाद से ही कच्ची सामग्री ली है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को क्षति उसके स्थान के कारण नहीं है।

xxxix. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रौद्योगिकी निष्प्रयोज्यता का दावा करने के लिए डाईस्टफ से संबंधित संयंत्र के बंद होने पर विश्वास किया है, जो वर्तमान मामले में संगत नहीं है।

xl. अर्निंग कान्फ्रेंस कालों में किए गए विवरण जांच की अवधि से संबंधित नहीं हैं और ऐतिहासिक आंकड़ों से संबंधित हैं।

xli. कन्टेनर संबंधी मुद्दों के कारण कम हुए निर्यातों से संबंधित वित्तीय विवरणों में विवरण के संदर्भ के संबंध में वह घरेलू बाजार में बिक्री में गिरावट नहीं बताता।

xlii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकाशित वित्तीय विवरणों में समग्र रूप से कंपनी की सूचना है न कि समान वस्तु की, और इस प्रकार, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

xliii. प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर विचार करें क्योंकि वह विद्यमान है और यह अपेक्षित नहीं है कि वे घरेलू उद्योग के अंतर्निहित कारकों के लिए गैर-आरोपण विश्लेषण करे।

xliv. अधिकरण ने पूर्व में यह माना है कि जब तक पक्षकार विभिन्न स्तर पर आय की आवश्यकता नहीं दर्शा पाएं, तब तक 22% आय की उपर्युक्त रूप में अनुमति दी जाएगी।

छ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

46. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए जाने के बाद किए गए घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नीचे हल करता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में घरेलू उद्योग को क्षति की पूर्व में जांच की थी। उसकी जांच वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में उस सीमा तक नहीं की गई है जहां तक वह प्रारंभिक जांच परिणामों पहले की जा चुकी है।

47. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि क्षति विश्लेषण के लिए जांच की अवधि की तुलना आधार वर्ष से की जानी चाहिए न कि पूर्व वर्ष से। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वस्तुपरक क्षति विश्लेषण केवल दो अवधियों की तुलना के आधार पर नहीं हो सकता। क्षति विश्लेषण में क्षति की अवधि का भाग बनने वाले प्रत्येक वर्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे विश्लेषण के अभाव में चार वर्षों की सूचना मांगने का मुद्दा बेकार हो जाता है। ब्राजील से मेलेबल कास्ट आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग्स के संबंध में यूरोपीय समुदाय - पाटनरोधी शुल्क में डब्ल्यूटीओ पैनल ने भी यह निष्कर्ष निकालते हुए वही नोट किया है कि क्षति विश्लेषण में प्रत्येक अवधि के लिए वास्तविक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

"इस प्रकार, "अंतिम बिंदुओं" की ही तुलना की अपेक्षा प्रत्येक क्षतिकारक और तत्वों में वास्तविक मध्यवर्ती प्रवृत्तियों को सार्थक जांच के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। जांचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष एक स्पष्ट, उपयुक्त और विघटन-रहित तस्वीर तथ्यों से लाई जानी चाहिए। निर्धारण में उद्योग की वर्तमान स्थिति लेने वाले आंकड़ों के ऐसे पूरे और प्रभावशाली मूल्यांकन के आधार पर ही समीक्षाकर्ता पैनल यह निर्धारित करने में सक्षम होगा कि क्या जांच से निकाले गए निष्कर्ष निष्पक्ष और उद्देश्यपरक प्राधिकार के हैं।"

इसके मद्देनजर, प्राधिकारी ने प्रत्येक अवधि पर विचार करते हुए क्षति की प्रवृत्ति की जांच की है। तथापि, क्षति विश्लेषण करने में प्रत्येक अवधि को प्रभावित करने वाले कारकों पर उचित ध्यान दिया गया है।

48. घरेलू उद्योग ने 2023-24 और अप्रैल से जून, 2024 की अवधि की भी सूचना प्रस्तुत की है। घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना यह दर्शाती है कि आयात बढ़े हैं और उससे घरेलू उद्योग को और क्षति हुई है। घरेलू उद्योग काफी अवधि के लिए अपना संयंत्र बंद करने के लिए भी मजबूर था। तथापि, उस अवधि की सूचना से प्राधिकारी क्षति की अवधि पर आधारित सूचना की अपेक्षा किसी मानदंड के संबंध में भिन्न निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं और घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के बाद आने वाली अवधि के लिए सूचना पर विचार करने की आवश्यकता का औचित्य नहीं दिया है। तद्नुसार, प्राधिकारी ने उस सूचना की जांच नहीं की है।

49. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग के वित्तीय विवरण यह दर्शाते हैं कि उन्होंने लाभ अर्जित किया है, हुई क्षति के दावे को नकारते हुए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के (vi) के प्रावधानों के तहत घरेलू उद्योग को क्षति समान वस्तु के संबंध में देखे जाने की आवश्यकता है न कि समग्र रूप से कंपनी के निष्पादन के संबंध में। अत: वित्तीय विवरणों का संदर्भ उपयुक्त नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है।

50. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आवेदक की लागत संरचना का सत्यापन किया जाना चाहिए और वह बढ़ाई हुई हो सकती है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 8 के

प्रावधानों के अनुसार विस्तार से घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन किया है। उस सत्यापित सूचना पर ही वर्तमान जांच के लिए विश्वास किया गया है।

ज. <u>क्षति का संचयी मूल्यांकन</u>

51. प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी ने यह नोट किया कि:

क. संबद्ध देशों से संबद्ध सामान भारत में पाटित किए जा रहे हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग अलग आयातों की कुल मात्रा के 3% से अधिक है।

ग. आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात केवल सीधे ही उनमें से प्रत्येक द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं करते बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

52. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने यह माना कि घरेलू उद्योग पर चीन जन.गण. और जापान से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करना उपयुक्त है। प्रारंभिक जांच परिणामों में निकाले गए निष्कर्षों से हटने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

झ. <u>पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव</u>

क) <u>मांग का मूल्यांकन/स्पष्ट खपत</u>

53. जैसा कि पैरा 56-57 में नोट किया गया है संबद्ध सामानों के लिए मांग में 2020-21 में गिरावट आई परंतु उसके बाद वह धीरे-धीरे बढ़ी। घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि संबद्ध सामानों के लिए मांग कोविड-19 से प्रभावित हुई थी। तथापि, यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान मांग में सुधार हुआ और पूर्व अवधियों से अधिक है।

ख. <u>संबद्ध देशों से आयात मात्राएं</u>

54. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में यह नोट किया कि आयातों की मात्रा में उत्पादन और खपत के संबंध में तथा पूर्ण दृष्ट से वृद्धि हुई है। विशेष रूप से 2020-21 में गिरावट के बाद क्षति की अवधि के दौरान 236% तक वृद्धि हुई। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आयातों में वृद्धि कोविड-19 से सुधार के बाद मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप थी। तथापि, यह अनुरोध किया जाता है कि कोविड से ठीक होने के बाद पूर्व वर्ष की तुलना में मांग में 194% तक वृद्धि हुई। इसके विपरीत, आयातों में 236% की उच्चतर दर पर वृद्धि हुई है। अत: आयातों में वृद्धि पूर्णत: मांग में वृद्धि के कारण नहीं है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	मी.ट.	4,414	1,742	1,917	6,433
चीन	मी.ट.	4,211	1,710	1,705	6,203
जापान	मी.ट.	203	33	212	230
अन्य देश	मी.ट.	-	42	21	100
कुल आयात	मी.ट.	4,414	1,784	1,938	6,533
बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	40	1343	1173
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	401	344	257
मांग	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	40	53	155
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात :					
कुल आयात	%	100%	98%	99%	98%
उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	10	13	57

खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	82	94

झ.1 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

क) कीमत कटौती

55. प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी ने नोट किया कि कीमत कटौती जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक और काफी है।

विवरण	इकाई	जांच की अवधि
निवल बिक्री कीमत	रु./ मी.ट.	***
पहुंच कीमत	रु./ मी.ट.	1,55,707
कीमत कटौती	रु./ मी.ट.	***
कीमत कटौती	%	***
रेंज	रेंज	30-40%

56. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि कीमत कटौती की जांच घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता की पृष्ठभूमि में पूरी क्षति अवधि में की जानी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की कीमत पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रखी गई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम रहा है, जबकि आयात प्रत्येक अवधि में अधिकतम बाजार के हैं। घरेलू उद्योग को उस समय हानियों में भी वृद्धि हुई है जब जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती बढ़ी जिसका अर्थ घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी दबाव है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	रु./ मी.ट.	***	***	***	***

पहुंच कीमत	रु./ मी.ट.	1,17,929	1,05,265	1,66,360	1,55,707
कीमत कटौती	रु./ मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
रेंज	रेंज	20-30%	30-40%	10-20%	30-40%

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

57. प्रारंभिक जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने यह पाया कि आयातों का पहुंच मूल्य पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम था। परिणामस्वरूप आयातों से कीमत वृद्धि रुकी जो अन्यथा हुई होती क्योंकि घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं था। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया था कि घरेलू उद्योग की पहुंच कीमत कच्ची सामग्री की लागत के अनुरूप नहीं बढ़ी।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रु./ मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	74	111
बिक्री कीमत	रु./ मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	130	144
पहुंच कीमत	रु./ मी.ट.	1,17,929	1,05,265	1,66,360	1,55,707
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	141	132
कच्चे माल की लागत	रु./ मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	70	74	125

58. इस संबंध में, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पहुंच कीमत बिक्री कीमत से कम होने के नाते कीमत कटौती का मानदंड है न कि कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण का। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण की जांच बिक्री कीमत और बिक्री लागत के संदर्भ में किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, पहुंच कीमत की प्रवृत्तियों और पहुंच कीमत और बिक्री कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर आयातों के प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। यह संगत है क्योंकि प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक

है कि वे न केवल कीमत ह्रास/न्यूनीकरण की मौजूदगी का निष्कर्ष निकाले बल्कि क्या आयातों से कीमत न्यूनीकरण/ह्रास हुआ है, यह भी निष्कर्ष निकालें। वर्तमान मामले में पहुंच कीमत, बिक्री लागत और बिक्री कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि आयातों ने कीमत वृद्धि रोकी है, जो अन्यथा हुई होती।

59. निम्नलिखित तालिका आवेदक की बिक्री लागत और बिक्री कीमत तथा आयातों की पहुंच कीमत में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन दर्शाती है।

विवरण	वर्ष/वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रु./एमटी		(***)	(***)	***
सूचीबद्ध	%		(11)	(17)	49
बिक्री कीमत	रु./एमटी		(***)	***	***
सूचीबद्ध	%		(2)	32	11
पहुंच कीमत	रु./एमटी		(12664)	61095	(10653)

60. यह देखा गया है कि वर्ष 2019-20 में घरेलू उद्योग हानियों में था वर्ष 2020-21 में बिक्री लागत में लगभग ***रु. प्रति मी.ट.गिरावट आई। आवेदक की बिक्री कीमत इस अवधि में केवल ***रु. प्रति मी.ट. तक कम हुई। बाद की अवधि में बिक्री लागत में ***रु. प्रति मी.ट. तक गिरावट आई परंतु बिक्री कीमत ***रु. तक बढ़ी। घरेलू उद्योग की स्थिति हानियों से ठीक हुई और 2021-22 में लाभ कमाए। यही वह अवधि थी जब आयात कीमतें भी ऊपर चढ़ी और बाजार में आयातों के हिस्से में गिरावट आई।

61. जांच की अवधि में, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत ***रु. प्रति मी.ट. तक बढ़ी है परंतु बिक्री कीमत केवल ***रु. प्रति मी.ट. तक बढ़ी है। बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं है। यह इस कारण है कि इस अवधि में आयातों की मात्रा बढ़ी और बिक्री लागत में वृद्धि के बावजूद आयात कीमत में गिरावट आई।

झ.2 <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड</u>

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

62. प्रारंभिक जांच परिणाम में, प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता केवल ***% तक लगाने में सक्षम था। घरेलू उद्योग के सामने कम उपयोग की गई क्षमताओं की समस्या थी, और जांच की अवधि के महत्वपूर्ण भाग के लिए अपना संयंत्र बंद करने के लिए मजबूर था। घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपना उत्पादन और क्षमता का छोटा सा हिस्सा ही बेचने में सक्षम था। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग हानियों पर संबद्ध सामानों का निर्यात करने के लिए मजबूर था।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	401	344	257
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	401	345	257
घरेलू बिक्रियां	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	39	1345	1172

63. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कोविड-19 के कारण आयातों में कमी के कारण बढ़ी और जब बाजार स्थिति स्थिर हुई तो उसमें गिरावट आई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उस स्थिति में गिरावट के लिए घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री का कोई कारण नहीं है। जब जांच की अवधि के दौरान मांग में सुधार हुआ है। बिक्री में यह गिरावट बाजार के "स्थिरीकरण" नहीं माना जा सकता। मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू बिक्री में गिरावट यह दर्शाती है कि आयातों ने बाजार में भारी हिस्से को आने से घरेलू उद्योग को रोका है।

64. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि देश में क्षमता काफी है और मांग की तुलना में है। घरेलू उद्योग उपयुक्त रूप से उच्च क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर सकता था, यदि जांच की अवधि के दौरान अधिक बाजार हिस्से को पूरा करने वाले आयातों के लिए नहीं।

ख. बाजार हिस्सा

65. घरेलू उद्योग और आयातों का बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया था:

बाजार हिस्सा	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	1700	500
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	83	94
अन्य आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	50	50

66. प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी ने यह नोट किया कि भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक होने के बावजूद और मांग के लगभग ***% के बराबर क्षमता होने के बावजूद भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग का हिस्सा केवल ***% है। संबद्ध देशों से आयात जांच की अवधि के दौरान ***% हिस्से के साथ पूरी क्षति अवधि में भारतीय बाजार पर प्रभावी होने जारी रहे हैं।

67. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि प्राधिकारी को बाजार हिस्से के आंकड़ों पर ही विश्वास नहीं करना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा अत्यधिक कम है, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर आयातों का प्रभाव समझने के लिए पूर्ण सूचना पर विचार करना महत्वपूर्ण है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा ही कम नहीं है बल्कि पूर्व वर्ष तक बढ़ने के बाद जांच की अवधि के दौरान उसने गिरावट भी दर्ज की है।

68. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग चीन से लगान में विलंब के कारण ही 2021-22 में सामान बेचने में सक्षम था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तथ्य इस निष्कर्ष को नहीं नकारता कि घरेलू उद्योग को बाजार हिस्से में गिरावट आई है और उसका बाजार में बहुत कम हिस्सा है, इसके विपरीत, यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग पाटन के अभाव में अधिक बाजार हिस्सा पूरा करने की स्थिति में है।

ग) मालसूची

69. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
आरंभिक मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	154	182	99

70. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची 2021-22 तक निरंतर बढ़ी है और केवल जांच की अवधि के दौरान कम हुई है। तथपि, घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपने उत्पादन का निपटान करने में सक्षम नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची धारण अवधि *** दिन है।

ख) लाभप्रदत्ता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

71. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के संबंध में, प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में नोट किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता का जांच की अवधि के दौरान ह्रास हुआ है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान निवेश पर हानियां, नकद हानियां और नकारात्मक आय हुई है। प्रारंभिक जांच परिणामों में टिप्पणियों से हटने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध अथवा साक्ष्य नहीं दिया गया है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का उल्लेख किया है। उनकी जांच कारणात्मक संपर्क की जांच करते समय, उनकी निम्नलिखित रूप में की गई है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रु./मी.ट.	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	74	111
बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	130	144
लाभ/(हानि)	रु./मी.ट.	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(75)	11	(59)
लाभ/(हानि)	लाख रु.	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(29)	142	(691)
नकद लाभ	लाख रु.	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(25)	450	(574)
निवेश पर आय	%	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(72)	32	(90)

72. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत कमीशन, छूट, रियायत, आदि में वृद्धि के कारण बढ़ी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रति इकाई आधार पर घरेलू उद्योग की बिक्री लागत आधार वर्ष की तुलना में 11% तक बढ़ी है। कमीशन, छूट, रियायत आदि के कारण यह लागत घरेलू उद्योग की कुल लागतों के केवल 1% है, और इस प्रकार काफी नहीं है। अत:, बिक्री लागत ने वृद्धि को घरेलू उद्योग पर लगाए गए कमीशन, छूट, रियायत आदि के कारण नहीं हो सकती। वस्तुत: घरेलू उद्योग ने यह जोर दिया है कि कच्ची सामग्री की लागतों में भारी वृद्धि हुई है।

73. अचल परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में उनका प्रभाव अलग किया गया था और प्राधिकारी द्वारा मानी गई निवल अचल परिसंपत्तियों से अलग किया गया था।

74. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रपत्र IV के आधार पर क्षमता में कोई वृद्धि न होने के बावजूद मूल्यह्रास, ब्याज लागत और नियोजित पूंजी में वृद्धि के बीच अंतर का उल्लेख भी किया है। घरेलू उद्योग ने यह स्पष्ट किया है कि यह घरेलू और निर्यात बिक्री के बीच आबंटन के कारण है और कुल लागतों में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं है। निम्नलिखित तालिका घरेलू और निर्यात बाजारों, दोनों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी और कुल मूल्यह्रास तथा ब्याज लागत दर्शाती है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल्यह्रास	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	108	108
ब्याज लागत	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	182	136
नियोजित पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	99	81

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल्यह्रास लागत 8% तक बढ़ी है। यह वृद्धि घरेलू उद्योग के लेखांकन रिकॉर्ड और अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अनुरूप पाई गई है। किसी भी दशा में, मूल्यह्रास में वृद्धि घरेलू उद्योग की हानियों का कारण होने के लिए काफी नहीं है। मूल्यह्रास लागत क्षति की अवधि में ***लाख रु. तक बढ़ी है जबकि घरेलू उद्योग की हानियां ***लाख रु. तक बढ़ी हैं। यद्यपि ब्याज लागतों में अधिक वृद्धि है, तथापि यह लागतें केवल 1% पर कुल लागत के संबंध में नगण्य हैं।

76. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में भारी गिरावट आई है। तथापि, यद्यपि मूल्यह्रास लागत वही रही है फिर भी ब्याज लागत में वास्तव में पूर्व वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

77. प्रारंभिक जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने यह नोट किया कि घरेलू उद्योग ने इस कारण क्षति का दावा नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर जोर दिया है कि घरेलू उद्योग की कर्मचारियों की संख्या, मजदूरी और उत्पादकता बढ़ी है। चूंकि प्राधिकारी ने इस मानदंड के संबंध में क्षति का निष्कर्ष नहीं निकाला है। अत: मानदंड की पुन: जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	132	134
वेतन और मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	151	147
प्रति दिन उत्पादकता	मी.ट./दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	400	300	300
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट./संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	320	260	180

च) वृद्धि

78. प्रारंभिक जांच परिणामों में घरेलू उद्योग की वृद्धि के संबंध में किए गए निष्कर्षों से हटने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं। तद्नुसार, प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 81 की विषयवस्तु की पुष्टि करते हैं।

छ) पूंजी निवेश जुटाने के लिए क्षमता पर प्रभाव

79. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया कि आयातों से पूंजी निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता प्रभावित नहीं हुई है तथापि, उन्होंने इस दावे का कोई आधार नहीं दिया है। तद्नुसार, प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों में पैरा 82 की विषयवस्तु की पुष्टि करते हैं।

ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

80. जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणामों में नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान लाभप्रद स्तर तक अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है और हानियों पर सामन बेचे हैं। इसके अतिरिक्त, कम कीमत वाले आयातों से भी कम बाजार हिस्सा बना है और कम उपयोग की गई क्षमता रही है जिससे अंततः आवेदक अपने प्रचालन बंद करने के लिए मजबूर हुआ। इस प्रकार, संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हुई हैं।

झ) पाटन की मात्रा

81. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का काफी पाटन है जिसने बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को नष्ट किया है।

झ.3 <u>क्षति का समग्र मूल्यांकन</u>

82. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह पाते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणामों में टिप्पणियां, क्षति पर विचार करते हुए, मानी जानी जारी रहती हैं। संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि:

i. इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू उद्योग के पास लगभग ***% पूरी भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है तथापि आयातों का बाजार पर प्रभाव रहा है।

ii. आयात 2020-21 और 2021-22 में कम हुए परंतु उसके बाद 236% तक बढ़े और जांच की अवधि के दौरान अधिकतम थे।

iii. आयात घरेलू उद्योग के उत्पादन से 689% अधिक हैं और भारतीय बाजार का ***% हैं।

iv. संबद्ध देशों से आयात भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के लगभग पूर्णता में हैं।

v. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। कीमत कटौती जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक और काफी थी।

vi आयातों ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि रोकी है जो अन्यथा हुई होती।

vii. क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि के बावजूद निर्यातकों ने आयातों की पहुंच कीमत नहीं बढ़ाई है।

viii. ***% मी.ट.क्षमता होने के बावजूद घरेलू उद्योग की नियोजित क्षमता केवल ***मी.ट.थी।

ix. इसके बावजूद घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान अपनी क्षमता का केवल ***% उपयोग करने में सक्षम रहा है।

x. घरेलू उद्योग 12 जनवरी, 2023 को अपना संयंत्र बंद करने के लिए मजबूर था और जांच की अवधि के दौरान उसे पुन: आरंभ करने में सक्षम नहीं रहा है।

xi. मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा केवल ***% है और उसने घरेलू बाजार में अपने उत्पादन का केवल ***% बेचा है।

xii. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची धारण अवधि जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक है।

xiii. घरेलू उद्योग को काफी वित्तीय हानियां हो रही हैं। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान निवेश पर नकारात्मक आय और नकद हानियों के साथ हानियां हुई हैं।

xiv. आयातों से घरेलू उद्योग की और अधिक पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

xv. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

xvi. पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

83. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

झ.4 <u>गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संपर्क</u>

84. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि मांग में गिरावट से घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग जांच की अवधि के दौरान काफी बढ़ी है और क्षति की अवधि के प्रत्येक वर्ष की तुलना में अधिकतम थी। इस प्रकार, मांग में संकुचन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कारक नहीं है।

85. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोविड-19 के प्रभाव का भी भारी जोर दिया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2020-21 में कोविड-19 का काफी प्रभाव था जिसके कारण उत्पाद की मांग 60% तक कम हुई। यह स्विमिंग पूल और जलशोधन सुविधाओं के पूरी तरह बंद होने के कारण था जो हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लेख किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद के प्रारंभिक उपभोक्ता हैं। इस अवधि में आयातों में भी गिरावट आई। तथापि, 2021-22 में जब मांग बढ़ी तो आयातों में वृद्धि तदनुरूप नहीं थी। घरेलू उद्योग के निष्पादन में इस अवधि में सुधार हुआ। जांच की अवधि के दौरान मांग पुन: काफी बढ़ी है परंतु आयातों में वृद्धि अत्यधिक है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोविड-19 का निरंतर प्रभाव है।

86. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने प्रौद्योगिकी की निष्प्रयोज्यता का दावा किया है, तथापि आंतरिक अदक्षताओं और संयंत्र के स्थान से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, तथापि उसका कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। यह दावा करने में कि घरेलू उद्योग ने पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया

है, पक्षकारों ने डाईज और डाइजस्टफ से संबंधित संयंत्र के बंद होने पर विश्वास किया है जो यह नहीं दर्शाता कि संबद्ध सामानों का संयंत्र पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है। जहां तक अदक्षताओं का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वह वास्तव में अपनी परिवर्तन लागत कम करने में सक्षम रहा है। आधार वर्ष की तुलना में यद्यपि कच्ची सामग्री की लागत 25% तक बढ़ी, तथापि बिक्री लागत केवल 11% तक बढ़ी क्योंकि परिवर्तन लागत 12% तक कम हुई। जहां तक संयंत्र के स्थान का संबंध है, हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर उसका प्रभाव नहीं बताया अथवा दर्शाया है।

87. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने ट्रायन केमिकल्स से पुराना संयंत्र प्राप्त किया, जो काफी हानियों में था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह घरेलू उद्योग का मामला नहीं है कि पाटन केवल जांच की अवधि के दौरान ही शुरु हुआ है। घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया है कि 2017 से प्रचालनों में रहने के बावजूद, घरेलू उद्योग आयातों के कारण ठीक होने में सक्षम नहीं रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस पूरी अवधि में आयात देश में लगभग पूरी मांग के बराबर रहे हैं। 2021-22 के दौरान, जब आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई तो घरेलू उद्योग लाभदायक स्तर तक अपने निष्पादन में सुधार करने में सक्षम रहा है। इसके मद्देनजर, यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग को पुरानी प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण क्षति हुई है।

88. इसी तरह, हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को रूस-यूक्रेन युद्ध अथवा वैश्विक बाजार प्रभावों के कारण क्षति हुई है। तथापि, देश के घरेलू बाजार पर इन कारकों का प्रभाव नहीं दर्शाया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में मांग उपर्युक्त कारकों से प्रभावित नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, यद्यपि उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, तथापि आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट आई। पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। अत: घरेलू उद्योग को क्षति बाजार में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण है न कि रूस-यूक्रेन युद्ध अथवा अन्य देशों के बाजार प्रभावों के कारण।

89. जहां तक कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव का संबंध है, उसे भी प्राधिकारी द्वारा देखा गया है। तथापि, पाटन के अभाव में कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि से निचले स्तर

के उत्पाद की कीमत में भी सामान्य रूप से वृद्धि होगी। वर्तमान मामले में आयातों ने यह कीमत वृद्धि रोकी है।

90. हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को उसके उत्पाद की कमजोर गुणवत्ता के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए सामान कमजोर गुणवत्ता के हैं। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग अपेक्षित गुणवत्ता और आयातित उत्पाद के तुलनीय के सामानों की आपूर्ति कर रहा है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित विवरण में नोट किया गया है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए सामान कमजोर गुणवत्ता के हैं, तथापि अन्य पक्षकारों ने यह दावा किया है कि चीनी उत्पाद विभिन्न बाजार क्षेत्रों को दर्शाते हुए कमजोर गुणवत्ता के हैं। तथापि, यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है कि चीन से आयातित सामान भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धा नहीं करते। इसके विपरीत, आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट की सीधी प्रतिक्रिया में, घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ। यह प्रवृत्ति जांच की अवधि के दौरान उस समय उल्टी हुई जब आयातों की मात्रा और बाजार हिस्से में प्रतिकूल रूप से मात्रा और लाभप्रदता मानदंडों में घरेलू उद्योग को प्रभावित करते हुए वृद्धि हुई।

91. अंत में, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को निर्यात करने में उसकी अक्षमता के कारण क्षति हुई है जबकि अन्य ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग का घरेलू बाजार की लागत पर निर्यात बाजार पर जोर है। प्राधिकाारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षमताओं का काफी कम उपयोग किया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के पास घरेलू बाजार के बहुत बड़े हिस्से को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता थी। अत: यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग ने निर्यात बाजार को प्राथमिकता दी। जहां तक निर्यात करने में आरोपित अक्षमता का संबंध है, वह घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री अथवा बाजार हिस्से में गिरावट नहीं बताती। यदि निर्यात बिक्री के कारण ही घरेलू उद्योग ने मात्रा खोई होती तो उसके क्षमता उपयोग में गिरावट आई होती न कि उसकी घरेलू बिक्री अथवा बाजार हिस्से में। इसके अतिरिक्त, उत्पादन लागत, बिक्री कीमत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, आदि के मानदंडों की घरेलू प्रचालनों के लिए ही जांच की गई है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग को उसके निर्यात प्रचालनों के कारण घरेलू बाजार में क्षति नहीं हुई है।

<u>कारणात्मक संपर्क संबंधी निष्कर्ष</u>

92. यद्यपि नियमों के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों से हुई है।

i. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पाटन हो रहा है।

ii. आयात मात्रा जांच की अवधि में अधिकतम थी। आयातों में पिछले दो वर्षों में कोविड के कारण मांग में कमी के कारण ही गिरावट आई।

iii. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे थे। परिणामस्वरूप, चोट की अवधि के दौरान आयात में वृद्धि हुई है।

iv. 2021-22 में आयात मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। परिणामस्वरूप, बिक्री की लागत में गिरावट के बावजूद घरेलू उद्योग इस अवधि में अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम था। तथापि, उसके बाद, उत्पादन उत्पादन में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। हालांकि, आयात कीमतों में वृद्धि नहीं हुई। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को कीमतों में कमी का सामना करना पड़ा। घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका गया था। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को पीओआई में काफी अधिक नुकसान उठाना पड़ा।

v. आयातों की मात्रा जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की खपत और उत्पादन के संबंध में बढ़ी और भारतीय उत्पादन के संबंध में ***% है।

vi. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की काफी कटौती कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग बाजार में सामग्री बेचने में असमर्थ था, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमताओं का काफी कम उपयोग हुआ।

vii. सस्ती कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव बना है, कीमत वृद्धि रुकी है जो अन्यथा हुई होती। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान, नकद नुकसान और निवेश पर नकारात्मक रिटर्न मिला।

viii. यहां तक कि जब कच्ची सामग्री की कीमतें जांच की अवधि में बढ़ी तो आयातों की कीमतें नहीं बढ़ी।

ix. घरेलू उद्योग की क्षमताएं भारी रूप से कम उपयोग हुई हैं जो केवल उपयोग की जा रही संस्थापित क्षमता का ***% है।

x. घरेलू बिक्री कम है जिसमें घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा केवल ***% है।

xi. घरेलू उद्योग अपनी हानियों को कम करने और अत्यधिक मालसूची से बचने के लिए अपने प्रचालनों को बंद करने के लिए मजबूर था।

xii. घरेलू उद्योग को उस समय 2021-22 के सिवाय पूरी क्षति अवधि में हानियां और नकद हानियां हुई हैं जब पहुंच कीमतें बढ़ी। यहां तक कि जांच की अवधि में निवेश पर आय नकारात्मक थी।

93. इस प्रकार, प्राधिकारी, निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध सामानों के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क है।

ञ. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

94. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत क्षति की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति रहित कीमत क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने हेतु मानी गई है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा अनावर्ती खर्चे नहीं लगाए जाते हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल नियोजित परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22% की दर से) नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित अपनाए जा रहे अनुसार क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

95. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत निर्यातकों द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।

96. जहां तक इस तर्क का संबंध है नियोजित पूंजी पर 22% आय अनावश्यक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह प्राधिकारी की सतत परिपाटी है कि वे नियोजित पूंजी पर उपयुक्त आय, जो कि 22% है, पर उपयुक्त आय के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत निर्धारित करें। जब तक कि रिकॉर्ड में यह साक्ष्य न हो कि 22% पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और कुछ अन्य आंकड़े अधिक उपयुक्त हों।

97. उपर्युक्त निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

उत्पादक	**एनआईपी (अम.डॉ./मी.ट.)**	**पहुंच कीमत (अम.डॉ./मी.ट.)**	**क्षति मार्जिन (अम.डॉ./मी.ट.)**	**क्षति मार्जिन (%)**	**क्षति मार्जिन (रेंज)**
चीन					
शांगडोंग गोल्डनस्टार वाटर इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
पुयांग क्लीनवे केमिकल्स लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
शांगडोंग डामिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
शांगडोंग लानटियन डिस्इन्फेक्शन टेक्नोलॉजी कंपनी	***	***	***	***	50-60

अन्य सभी	***	***	***	***	50-60
जापान					
कोई भी	***	***	***	***	10-20

ट. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

ट.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध</u>

98. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए जाने के बाद हितबद्ध पक्षकारों ने जनहित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से जनहित का कार्य नहीं होगा और इससे उपभोक्ताओं, व्यापारों और जन यूटिलिटीज पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं जिससे आपूर्ति की कमी होगी, कीमतें अधिक होंगी और अनिवार्य सेवाओं में संभावित व्यवधान होंगे।

ii. सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र भी जोखिम पर होगा क्योंकि टीसीसीए की प्रतिबंधित आपूर्ति से पेयजल, स्विमिंग पूल और अन्य स्वच्छता सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर असर हो सकता है।

iii. शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को कम करना और भारत में उपलब्ध केवल घटिया उत्पादों के साथ एकाधिकार नियंत्रण सृजित करना है।

iv. प्राधिकारी ने इस बात की अनदेखी की है कि न्यूनतम कीमत वृद्धि से उपभोक्ताओं पर संक्रमणरोधी जैसे अनिवार्य सामानों के लिए काफी भार पड़ सकता है।

v. उचित जांच किए बिना अपने हित के आर्थिक हित के प्रश्नों पर विश्वास करना कानून की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है।

vi प्राधिकारी ने इस साक्ष्य के रूप में घरेलू प्रयोक्ताओं के असहयोग पर विचार किया है कि शुल्क का हानिकारक प्रभाव नहीं होगा। असहयोग भविष्य में संसाधनों और विशेषज्ञता के अभाव तथा प्रभाव की असहयोगिता के कारण हो सकता है।

vii. व्यापक कल्याण की कीमत पर एक उद्योग का संरक्षण करने का निर्णय नियामक शुल्कों और अधिदेश के विपरीत है।

viii. प्राधिकारी ने केवल संक्रमणरोधी के रूप में विचाराधीन उत्पाद को लिया है जिससे जल संशोधन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका की अनदेखी हुई है।

ix. याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है और भारत में मांग को पूरा करने में अक्षम है।

x. आवेदक चीन से साइन्यूरिक एसिड का आयात कर रहा है और भारत में न्यूनतम मूल्यवर्धन कर रहा है। अत: वह सरकार की मेक इन इंडिया पहल को पूरा नहीं कर रहा है।

xi. यह दावा कि घरेलू उद्योग भविष्य में क्षमता का विस्तार कर सकता है, अनिश्चित भावी मांग पर विश्वास करता है और क्षमता विस्तार से जुड़ी संभावित लागतों को नहीं माना है जिससे आगे और कीमत वृद्धि हो सकती है।

xii. प्रतिस्थापनों की केवल सैधांतिक उपलब्धता लगाए गए तथाकथित शुल्क के वास्तविक विश्व प्रभावों को नहीं दर्शाते। आवेदक ने इन वैकल्पिक स्रोतों से कीमत से संबंधित साक्ष्य नहीं दिए हैं।

xiii. यहां तक कि यदि शुल्क लगाए जाते हैं तो अन्य देशों से आयात बदलकर बाजार ले लेगा जिससे उपाय अप्रभावी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, तस्करी से संबंधित चिंताएं और सभी देशों में व्यापक कीमत संबंधी आंकड़ों का प्रभाव इस मामले को और जटिल बना देगा।

xiv. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्कों के अभाव में भी प्रतिस्पर्धी बाजाार विद्यमान हैं।

xv. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में गारंटीशुदा आकार के अभाव और कम घुलनशीलता तथा क्लोरीन के असमान फैलाव के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां हैं जिससे पैथेजिन और रासायनिक निस्सरण हो सकता है।

xvi. निचल स्तर के उद्योग पर प्रभाव का परिकलन करने के लिए पद्धति में कमी है क्योंकि यह माना जाता है कि पानी में टीसीसीए केवल एक बार मिलाया जाता है।

xvii. यह मानते हुए कि टीसीसीए पूलों में दैनिक रूप से मिलाया जाता है, पूलों पर शुल्क का प्रभाव 8,760 रु. से 1,31,400 रु. के बीच होगा।

xviii. टीसीसीए पर शुल्क लगाए जाने की स्थिति में प्रयोक्ता अन्य उत्पादों, एसडीआईसी 60%, ब्लीचिंग, तरल क्लोरीन, कैल्शियम हाइपो क्लोराइड में चले जाएंगे।

ट.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

99. घरेलू उद्योग ने प्रारंभिक निर्धारण जारी किए जाने के बाद भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. प्राधिकारी ने विधिवत जनहित विश्लेषण किया है और हितबद्ध पक्षकार के सभी तर्कों को पहले ही प्रारंभिक जांच परिणामों में हल कर दिया गया है।

ii. प्रयोक्ता उद्योग ने शुल्क लगाए जाने का विरोध नहीं किया है और आर्थिक हित की प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। संबद्ध सामानों का व्यापार करने वाले आयातकों ने ही अपना निजी लाभ बढ़ाने केलिए शुल्क लगाए जाने का विरोध किया है।

iii. जांच में प्रयोक्ता उद्योग द्वारा भाग न लेने को यह नहीं माना जा सकता कि उनके पास भाग लेने के लिए संसाधन और विशेषज्ञता नहीं है।

iv. घरेलू उद्योग 2017 से प्रचालन में रहने के बावजूद अपने प्रचालनों को स्थिर करने में अक्षम रहा है।

v. आवेदक संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है। यदि शुल्क नहीं लगाए जाते हैं तो उद्योग को अपने प्रचालन स्थाई रूप से बंद करने होंगे। ऐसी स्थिति में देश पूरी तरह से आयातों पर निर्भर करेगा और भारत आत्म-निर्भर नहीं होगा।

vi इस दावे के समर्थन के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि न्यूनतम कीमत वृद्धि से उपभोक्ताओं पर काफी भार पड़ेगा।

vii. विगत में प्राधिकारी ने एक उत्पादक के साथ उद्योग को उपचार प्रदान किया है। वर्तमान मामले में यह आवश्यक है क्योंकि पाटन जारी रहने से घरेलू उद्योग अपने प्रचालनों को बंद करने के लिए मजबूर होगा।

viii. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों को मात्र संक्रमणरोधी नहीं माना है।

ix. आयातक यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य देने में विफल रहे हैं कि प्राधिकारी से ऐसा करने के निर्देश के बावजूद कमजोर गुणवत्ता के हैं। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया है, यह दर्शाता है कि वह कम गुणवत्ता के उत्पादों की आपूर्ति नहीं कर रहा है।

x. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान संयुक्त राज्य की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा प्रमाणित किया जाता है जो कि सर्वाधिक कठोर मानकों में से एक है।

xi. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग की गुणवत्ता घटिया होने के संबंध में विरोधाभासी विवरण दे रहे हैं और फिर यह उल्लेख कर रहे हैं कि आवेदक प्रीमियम गुणवत्ता का निर्यात कर निर्यातों पर जोर देना चाहता है।

xii. घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और भावी मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि कर सकता है।

xiii. हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि क्षमता बढ़ाने से कीमतें अधिक होंगी, मान्य नहीं है, क्योंकि अधिक आपूर्ति से कीमतों में कमी आती है।

xiv. डोधिया केम टेक्स प्राइवेट लिमिटेड निकट भविष्य में बाजार में प्रवेश करने की योजना बना रहा है जो बाजार में एकाधिकार बनाए जाने की संभावना को समाप्त करेगा।

xv. यद्यपि कुछ हितबद्ध पक्षकार यह दावा करते हैं कि उत्पाद की आपूर्ति के कोई वैकल्पिक आयात स्रोत नहीं हैं, तथापि अन्य पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि बाजार अन्य देशों से आयातों में चला जाएगा, जो परस्पर विरोधाभाष दर्शाता है।

xvi. शुल्क लगाए जाने के बाद भी संबद्ध सामान उचित कीमतों पर आयात किए जा सकते हैं।

xvii. निचले स्तर के उद्योग पर प्रभाव नगण्य है क्योंकि संबद्ध सामान निचले स्तर के उद्योग के लिए प्रमुख इनपुट अथवा कच्ची सामग्री नहीं है और तद्नुसार, प्रमुख लागत नहीं है।

xviii. घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया प्रभाव परिकलन वस्तुत: अधिक बताया गया है क्योंकि यह स्विमिंग पूल को संचालित और परिचालित करने की अन्य महत्वपूर्ण लागतों पर विचार नहीं करता।

xix. हितबद्ध पक्षकारों ने निचले स्तर के उद्योग पर शुल्कों के प्रभाव के लिए कोई परिकलन नहीं दिया है अथवा यह सिद्ध नहीं किया है कि निचले स्तर के उद्योग पर शुल्कों से काफी प्रभाव पड़ेगा।

xx. शुल्क लगाए जाने से विदेशी मुद्रा की बचत बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और घरेलू उद्योग को बाजार में बढ़ने में सहायता मिलेगी।

xxi. शुल्क लगाए जाने से निर्यात की निवल वसूली प्रभावित नहीं होगी क्योंकि शुल्क किसी निर्यातक की निवल वसूली पर लगाया जाता है।

xxii. यह उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन सहित अन्य देशों से उचित कीमतों पर भी आयात किया जा सकता है। और एक संयंत्र बंगलादेश में भी हाल ही में स्थापित किया गया है।

xxiii. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे प्रयोक्ताओं से प्रमाण-पत्रों पर विश्वास किया है, तथापि घरेलू उद्योग ने ऐसे प्रयोक्ताओं अथवा संबंधित आयातक को इस उत्पाद की आपूर्ति नहीं की है। उन प्रयोक्ताओं का प्रमाण-पत्र, जिनको घरेलू उद्योग ने वास्तव में इस उत्पाद की आपूर्ति की है, यह दर्शाता है कि उसके उत्पाद अच्छी गुणवत्ता के हैं।

ट.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रारंभिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करना है, जिससे भारतीय बाजार में एक खुली और समतुल्य प्रतिस्पर्धा का वातावरण बने। यह मात्र एक नियामक उपाय नहीं है

बल्कि राष्ट्रीय हित का मामला है। पाटनरोधी उपाय लगाना स्वैच्छिक रूप से संबद्ध देशों से आयातों को बंद करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसके बजाए, यह एक उचित व्यापारिक क्षेत्र सुनिश्चित करने का तंत्र है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा का सार इन उपायों को लगाए जाने से पकड़ से बाहर रहेगा। प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के अलावा, पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से पाटन की परिपाटियों के माध्यम से अनुचित लाभ का प्रावधान रुकेगा। यह संबद्ध सामानों के व्यापक चयन में उपभोक्ताओं की पहुंच की सुरक्षा करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क कोई बाधा नहीं है बल्कि उचित व्यापारिक परिपाटियों के सुविधा प्रदाता हैं।

101. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच की शुरुआत की अधिसूचना जारी की। एक आर्थिक हित की प्रश्नावली घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच से संबंधित संगत सूचना प्रदान करने के लिए निर्धारित की गई थी।

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों का कोई भी प्रयोक्ता प्राधिकारी के समक्ष भाग लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा और आर्थिक हित की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, किसी भी पक्षकार ने लागू शुल्कों का प्रतिकूल प्रभाव दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। हितधारकों के साक्ष्य का अभाव और मौन प्राधिकारी की स्थिति को दर्शाता है और उचित व्यापारिक परिपाटियां सुनिश्चित करने के लिए पाटनरोधी उपायों की आवश्यकता को बल देता है।

103. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्रयोक्ताओं द्वारा भाग न लिया जाना जागरुकता, विशेषज्ञता और संसाधनों के अभाव के कारण हो सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी। इसके अतिरिक्त, आयातकों ने वर्तमान मामले में भाग लिया है। एक आयातक ने सूर्या फिटनेस कल्चर, लक्की पूल, वाटर स्टोन पूल, और राहुल वाटर वर्क्स जैसे प्रयोक्ताओं से प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराए हैं। अत: आयातक प्रयोक्ताओं को सूचित कर सकते थे और उन्हें जांच में भाग लेने की सलाह दे सकते थे। अत:, जागरुकता अथवा विशेषज्ञता का अभाव भाग न लिए जाने का आधार नहीं माना

जा सकता। जहां तक संसाधनों का संबंध है, अंत में प्रयोक्ता खुद अनुरोध कर सकते थे और संगत सूचना दे सकते थे।

104. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह सुनिर्धारित है कि यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सहयोग नहीं करता और इस प्रकार प्राधिकारियों से संगत सूचना रोकी जा रही है तो इस स्थिति से ऐसा परिणाम निकल सकता है तो पक्षकार के सहयोग किए जाने के बजाए वह पक्षकार के लिए कम अनुकूल है। अत:, प्रयोक्ताओं का सहयोग न करना एक तरीके से यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने उनको अनुकूल स्थिति क्यों नहीं दी। प्राधिकारी उनके समक्ष रखे गए अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करेंगे और वह विचार प्रयोक्ताओं के लिए कम अनुकूल स्थिति में हो सकता है।

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा संयंत्र की स्थापना से पूर्व भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर था। घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के विनिर्माण और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संयंत्र में भारी निवेश किया है। घरेलू उद्योग के अनुसार यदि संबद्ध देशों से आयात जारी रहते हैं, तो घरेलू उद्योग के पास पहले ही अपने प्रचालन बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

106. घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि अंतिम उत्पाद पर शुल्कों के कम प्रभाव के कारण शुल्कों से प्रयोक्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे। यह नोट किया जाता है कि शुल्कों का प्रभाव बहुत ही कम है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि चूंकि संबद्ध सामानों का प्रयोग मात्र पानी को साफ करने के लिए संक्रमणरोधी के रूप में किया जाता है। अत: यह उसमें प्रमुख लागत नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि टीसीसीए का प्रयोग एक संक्रमणरोधी के रूप में और जल संशोधन के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह निचले स्तर के उद्योग के लिए प्रमुख इनपुट अथवा कच्ची सामग्री नहीं है।

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा परिकलित प्रभाव यह मानते हुए कम आंका गया है कि टीसीसीए स्विमिंग पूल में कई बार मिलाया जाता है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि प्रभाव अधिक बताया गया है क्योंकि अन्य लागतों, जो पानी और टीसीसीए को छोड़कर स्थापना के संचालन में लगाई जाएंगी, पर विचार नहीं किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्विमिंग पूल प्रमुख रूप से होटलों, स्कूलों और खेल केन्द्रों द्वारा संचालित किए जाते हैं। ऐसी स्थापनाओं के लिए

पूल को संचालित करने में लगी लागतें स्थापना को संचालित करने में शामिल समग्र लागतों का केवल छोटा सा भाग है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि टीसीसीए एक बार से अधिक मिलाया जा सकता है, तथापि, हर बार मिलाने के शुल्क का प्रभाव 0.25% से कम है, जब जोड़ी गई पानी की लागत में प्रभाव पर विचार किया जाए। इसके अतिरिक्त, अन्य पक्षकारों द्वारा दावा किए गए अनुसार वर्ष में उपभोग किए गए टीसीसीए की कुल लागत भी यदि लगभग 1 लाख रु. है तो वह टीसीसीए जैसे उस प्रयोग की स्थापनाओं की समग्र लागत और राजस्व संरचनाओं को देखते हुए काफी नहीं मानी जा सकती।

108. टीसीसीए किसी भी प्रयोक्ता के लिए कच्ची सामग्री नहीं है। इसका प्रयोग जल संशोधन के लिए कम मात्राओं में किया जाता है। यह इस तथ्य से भी सिद्ध हो जाता है कि देश में इस उत्पाद की पूरी मांग 100-125 करोड़ रु. प्रति वर्ष के क्षेत्र में है। उत्पाद की इस मात्रा का उपभोग अधिसंख्य स्थापनाओं द्वारा किया जाता है। अलग अलग स्थापना के लिए मूल्यवार वार्षिक खपत इस प्रकार बहुत कम है। उत्पाद की कीमत में संभावित वृद्धि से उपभोक्ताओं द्वारा लगाई गई लागतों में काफी वृद्धि नहीं होगी।

109. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में संबद्ध सामानों की कमी नहीं होगी। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क आयात प्रतिबंधित नहीं करते बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। अत: शुल्क लगाए जाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। अत: घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग से अधिक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में पर्याप्त आपूर्ति है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि उसके पास यदि भारतीय मांग में वृद्धि होती है तो अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अवसंरचना है।

110. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि देश में संबद्ध सामान लगभग 100% है। तथापि, उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन में भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इस उत्पाद के उत्पादन के लिए संयंत्र हाल ही में बंगलादेश में स्थापित किया गया है। इस प्रकार, यदि शुल्क लगाए जाते हैं तो सामानों का आयात बंगलादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि डोधिया केम टेक्स प्राइवेट

लिमिटेड संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए संयंत्र की स्थापना करने की योजना बना रहा है। इससे भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी।

111. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि उत्पाद की उपर्युक्त उपलब्धता केवल सैधांतिक है और शुल्क लगाए जाने से मांग-आपूर्ति का अंतराल तथा एकाधिकार का सृजन होगा। सर्वप्रथम, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क लगाए जाने से संबद्ध सामानों का आयात नहीं रुकता बल्कि कीमत शुद्धिकरण सुनिश्चित होता है। किसी भी दशा में, यदि उत्पाद की कमी की स्थिति अथवा बाजार के एकाधिकार की स्थिति बनती है तो हितबद्ध पक्षकार मध्यावधि समीक्षा की मांग करते हुए प्राधिकारी से अथवा प्रतिस्पर्धीरोधी परिपाटियों से संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, शुल्कों से इंकार करने के लिए यह आधार नहीं हो सकता। किसी भी दशा में घरेलू उद्योग ने पहले ही क्षमताएं बढ़ाने के लिए अपेक्षित निवेश किया है।

112. हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत यह नहीं माना जा सकता कि शुल्कों के अभाव में इस उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार विद्यमान है। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों का काफी पाटन पाया है। घरेलू उद्योग के निष्पादन को ऐसे पाटन के परिणामस्वरूप क्षति हुई है।

113. भारत में मूल्यवर्धन के संबंध में यह नोट किया जाता है कि कच्ची सामग्री की लागत उत्पाद की कुल लागत का लगभग ***% है। इसके मद्देनजर भारत में मूल्यवर्धन किसी भी तरीके से कम नहीं माना जा सकता।

114. अंत में, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि जिन प्रयोक्ताओं को घरेलू उद्योग ने सामानों की आपूर्ति की है, उन्होंने गुणवत्ता की सराहना की है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश को उत्पाद की आपूर्ति कर रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान यूएसईपीए द्वारा प्रमाणित भी हैं। अत:, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई आधार नहीं है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए सामानों की गुणवत्ता घटिया है।

<u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

115 प्राधिकारी ने 22 नवंबर, 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को केन्द्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण प्रचालित किया। प्राधिकारी ने संगत मानी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। जो अनुरोध पूर्व के अनुरोध की पुनरावृत्ति मात्र थे और प्राधिकारी द्वारा जिनकी पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी थी, उन्हें संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

ठ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध</u>

116 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध किए गए हैं:

i. प्राधिकारी की टिप्पणियों के विपरीत चीन में दायर सीमा शुल्क घोषणा में बीजक तिथि नहीं है बल्कि बिक्री संविदा तिथियां हैं। चीन सीमा शुल्क घोषणा में तिथियां, दो बीजकों के लिए लदान और लेखांकन तिथियों का बिल सभी जांच की अवधि के अन्तर्गत है।

ii. व्यापारी को विनिर्माता का बीजक ग्राहक को व्यापारी के बीजक से बाद की तिथि का हो सकता है और इससे विनिर्माता और व्यापारी के बीच वास्तविक बिक्रियां प्रभावित नहीं होंगी।

iii. केवल इसलिए कि व्यापारी द्वारा बीजक पहले जारी किया जाता है, यह अवैध नहीं करता अथवा लेनदेन की वैधता पर संदेह नहीं करता क्योंकि पक्षकार और लेनदेन शर्तें संविदा के तहत पहले ही निर्धारित की जाती हैं।

iv. लेखा बहियों की वैधता पर प्राधिकारी द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जाता है जो कि बीजकों की तारीख की विश्वसनीयता के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाते।

v. प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे नियमावली के अनुबंध-II और अनुच्छेद 3 के अनुसार कठोरता से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मूल्यांकन करें। मात्रात्मक प्रभाव, कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव अनिवार्य घटक हैं जिनकी इस क्रम में ही संचयी रूप से जांच किए जाने की आवश्यकता है और यह कार्य निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।

vi याचिकाकर्ता ने यह सिद्ध नहीं किया है कि संबद्ध आयातों का कोई "व्याख्यात्मक बल" था अथवा याचिकाकर्ता पर परिणामी प्रभाव था।

vii. प्राधिकारी ने कारणात्मक संपर्क की जांच नहीं की है और घरेलू उद्योग के निष्पादन पर मात्रा तथा कीमत प्रभाव के अभाव में कारणात्मक संपर्क करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

viii. आवेदक यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य व्यापार उपचारात्मक प्राधिकारियों द्वारा चीनी उत्पादों पर लगाए गए शुल्कों के कारण लाभप्रद स्थिति में होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार की पूर्ति करने में अक्षम है।

ix. प्रति 1 लाख लीटर पानी के लिए, 300 ग्राम टीसीसीए का रोजाना प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है कि टीसीसीए कुल लागत का 90% है।

x. शुल्क लगाए जाने से छोटे पूल के प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो सभी रिसोर्टों, वाटर पार्कों, विद्यालयों और स्विमिंग पाठ के स्थानों के लिए सामान्य आकार का पूल है।

ठ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

117 घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध किए गए हैं:

i. यह सिद्ध है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों से हुई है और विचाराधीन उत्पाद के पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बीच स्पष्ट कारणात्मक संपर्क है।

ii. क्षति रहित कीमत और सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्रयुक्त उत्पादन लागत के पुन: निर्धारण की आवश्यकता है।

iii. प्राधिकारी ने संस्थापित क्षमता में उपलब्ध क्षमता के आधार पर उच्चतम क्षमता उपयोग लागू किया है जिससे असाधारण रूप से उच्च ईष्टम उत्पाद बना है। या तो उपलब्ध क्षमता में क्षमता उपयोग लागू किया जाए अथवा क्षमता उपयोग संस्थापित क्षमता को ध्यान में रखते हुए पुन: निर्धारित की जाए और उसके बाद तद्नुसार लागू की जाए।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

118 प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां पुनरावृत्ति की हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच कर दी गई है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से हल कर दिए गए हैं। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।

119 निर्यात हेबई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों की प्राधिकारी द्वारा विस्तार से पहले ही जांच कर दी गई है। जैसा कि पूर्व में नोट किया गया है, यह मानते हुए कि मूल रूप से प्रस्तुत बीजकों में कंपनी की मोहर थी। इसके अतिरिक्त, वे परिशुद्धता प्रमाण-पत्र के साथ कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। निर्यातक ने तभी संशोधित बीजक प्रस्तुत किए जब प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में अलग-अलग मार्जिन से इंकार कर दिया। अत: ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधित बीजक विश्वसनीय नहीं हैं। निर्यात ने यह नहीं दर्शाया है कि चीनी सीमा शुल्क घोषणा में उल्लिखित तारीख बीजक की तारीख नहीं है। अंतिम रूप से निर्यातक ने इसका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि व्यापारी कैसे विनिर्माता के बीजक में पूर्व की तारीख का बीजक जारी कर सकता है, वह भी जब व्यापारी की बीजक में विनिर्माता की बीजक संख्या हो। इसका कोई तर्क नहीं बनता कि व्यापारी ने वे सामान बेचे जो उसके अपने निजी नहीं थे और जिन पर वह बीजक संख्या उल्लिखित थी जिसके तहत वह उपर्युक्त सामानों का स्वामित्व लेगा। इस वास्तविक स्थिति के मद्देनजर, प्राधिकारी संशोधित बीजकों पर विश्वास करना उपयुक्त नहीं पाते और अपनी टिप्पणियों की प्रकटन विवरण में पुष्टि करते हैं।

120 हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस क्रम में मात्रात्मक प्रभाव, कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव की संचयी रूप से जांच करें, प्राधिकारी ने विस्तार से मात्रात्मक प्रभाव, कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों की जांच की है। संबद्ध सामानों के आयातों की जांच और घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। हितबद्ध पक्षकारों ने अन्यथा यह दर्शाने अथवा सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि प्राधिकारी ने

नियमावली के अनुबंध II और अनुच्छेद 3 के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच नहीं की है।

121 हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया है कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है तथा घरेलू उद्योग के उसके उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) द्वारा प्रमाणित हैं। हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की प्राधिकारी द्वारा पूर्व में विस्तार से पहले ही जांच कर दी गई है। हितबद्ध पक्षकारों ने पूर्व में लिए गए निष्कर्षों से अलग होने के लिए कोई नया साक्ष्य नहीं दिया है।

122. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध सामान प्रयोक्ताओं के लिए कुल लागत का प्रमुख भाग है, प्राधिकारी ने पहले ही उसकी जांच कर ली है। इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई नई सूचना अथवा साक्ष्य नहीं दिया गया है।

123. घरेलू उद्योग ने भी यह उल्लेख किया है कि प्राधिकारी को सामान्य और क्षतिरहित कीमत पुन: निर्धारित करनी चाहिए। प्राधिाकरी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। संबद्ध सामानों की क्षतिरहित कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। अत:, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि क्षतिरहित कीमत पुन: निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और क्योंकि यह नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित और प्राधिकारी की विगत परिपाटियों के अनुसार वही निकाली गई है।

ड. <u>निष्कर्ष और सिफारिशें</u>

124. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच करने और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

i. चीन जन.गण. और जापान से ट्रिक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरु किए जाने के लिए आवेदन-पत्र बोडल केमिकल्स लिमिटेड द्वारा

दायर किया गया था। आवेदक संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है और वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग है।

ii. विचाराधीन उत्पाद ट्रिक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड है जिसे टीसीसीए भी कहा जाता है जो एक रासायनिक मिश्रण है, जिसका प्रयोग सामान्य रूप से संक्रमणरोधी, ब्लीचिंग एजेंट और जलशोधन रसायन के रूप में किया जाता है।

iii. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा कि जांच की शुरुआत की अधिसूचना में परिभाषित किया गया है और संबद्ध जांच में पीसीएन पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं है।

iv. चूंकि चीन जन.गण. से किसी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यापार के लिए कोई अनुरोध दायर नहीं किया है अत: चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है तथा सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है जोकि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर है।

v. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, चीन और जापान से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

vi संबद्ध सामानों के लिए मांग में 2020-21 में कोविड के कारण गिरावट आई परंतु उसके बाद धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।

vii. संबद्ध देशों से आयात देश में पूर्णरूपेण आयात हैं और जांच की अवधि में अधिकतम थे।

viii. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे थे।

ix. आयातों का पहुंच मूल्य बिक्री कीमत तथा घरेलू उद्योग की लागत से कम था।

x. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत जांच की अवधि के दौरान बढ़ी परंतु आयातों की कीमतों में कमी आई है। बिक्री की लागत में वृद्धि कच्चे माल की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई थी। इसके अलावा, जब विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई, तब भी विक्रय मूल्य में वृद्धि बिक्री लागत में वृद्धि से कम थी।

xi. आयातों से कीमत वृद्धि रुकी है, जो अन्यथा हुई होती। इस प्रकार, आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण किया है।

xii. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर इन पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए थे:

क. घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि में उपयोग में कम लाई गई क्षमताओं से क्षति हुई है और उसने घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के महत्वपूर्ण क्षमता रखने के बावजूद अपने उत्पादन का बहुत ही छोटा हिस्सा बेचा है।

ख. घरेलू उद्योग के महत्वपूर्ण क्षमता रखने के बावजूद आयात पूरी क्षति अवधि में बाजार हिस्से पर प्रभावी रहे हैं।

ग. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची 2021-22 तक निरंतर बढ़ी है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन के निलंबन के साथ केवल जांच की अवधि के दौरान घटी है।

घ. घरेलू उद्योग को हानियां, नकद हानियां और नकारात्मक आय हुई है।

ङ. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित सामानों के परिणामस्वरूप क्षति हुई है। क्षति मार्जिन काफी है।

xiii. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति हुई है।

xiv. प्राधिकारी ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराया गया सामान घटिया गुणवत्ता का है।

xv. *** मीट्रिक टन की स्थापित मांग की तुलना में, घरेलू उद्योग के पास *** मीट्रिक टन की क्षमता है, इस प्रकार देश में उत्पाद की *** मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में उत्पाद बेचने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग केवल *** की अल्प सीमा तक किया था। उत्पाद की डंपिंग ने देश में घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोगिता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और घरेलू उद्योग को एक स्तर तक कम कर दिया है जहां यह देश में केवल *** मांग को पूरा कर रहा था।

xvi. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में लगभग *** महीने की कुल अवधि के लिए अपने उत्पादन को निलंबित कर दिया और देश में उत्पाद की डंपिंग को देखते हुए केवल *** दिनों के लिए संयंत्र का संचालन किया।

xvii. जांच से पता चला है कि घरेलू उद्योग मांग के उस स्तर को पूरा करने में असमर्थ रहा है जो कंपनी द्वारा सृजित क्षमताओं के साथ व्यवहार्य था। देश में डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी इतनी कम है। इच्छुक पार्टी द्वारा इतनी कम बाजार हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार कोई अन्य कारक सामने नहीं लाया गया है।

xviii. पाटनरोधी शुल्क जनता के हित में है। यह निम्नलिखित से सिद्ध है:

क. घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के विनिर्माण के लिए काफी निवेश किया है।

ख. निचले स्तर के उद्योग पर शुल्कों का प्रभाव बहुत ही कम है।

ग. यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि जागरुकता अथवा विशेषज्ञता के अभाव के कारण प्रयोक्ताओं ने जांच में भाग नहीं लिया है।

घ. जिन प्रयोक्ताओं को घरेलू उद्योग ने सामानों की आपूर्ति की है, उन्होंने उसकी गुणवत्ता की सराहना की है और हितबद्ध पक्षकार यह नहीं दर्शा पाए कि जिन क्रेताओं को घरेलू उद्योग ने सामानों की आपूर्ति की है, वे उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं।

ड. यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है कि आयातित सामान और घरेलू रूप से उत्पादित सामानों के बीच अंतर है।

च. शुल्क लगाए जाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। अन्य वैश्विक स्रोतों के अलावा, घरेलू उद्योग के पास लगभग पूरी भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है और यदि भारतीय मांग में कोई वृद्धि होती है तो उसके पास अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अवसंरचना है।

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त

अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरु करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। अत: प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

126. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी कमतर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तद्नुसार, प्राधिकारी निम्नलिखित शुल्क तालिका में कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं:

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29336990 29336910*	ट्रिक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	शांगडोंग गोल्डन स्टार वाटर इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	766	मी.ट.	अम.डा.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	पुयांग क्लीनवे केमिकल्स लिमिटेड	773	मी.ट.	अम.डा.
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	शांगडोंग डामिंग साईंस एंड	782	मी.ट.	अम.डा.

					टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड			
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	शांगडोंग लांटियान डिस्इंफेक्शन टेक्नोलॉजी कंपनी	907	मी.ट.	अम.डा.
5	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित सभी देश	क्रम सं. 1 से 4 में उल्लिखित को छोड़कर	986	मी.ट.	अम.डा.
6	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. और जापान को छोड़कर सभी देश	चीन जन.गण	कोई	986	मी.ट.	अम.डा.
7	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित सभी देश	कोई	276	मी.ट.	अम.डा.
8	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. और जापान को छोड़कर सभी देश	जापान	कोई	276	मी.ट.	अम.डा.

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

ढ. <u>आगे की प्रकिया</u>

127. इस अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोइ अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी